कुरुक्षेत्र

फरवरी 1972

मूल्य : 30 पैसे

PUBLIC ... LIBRARY

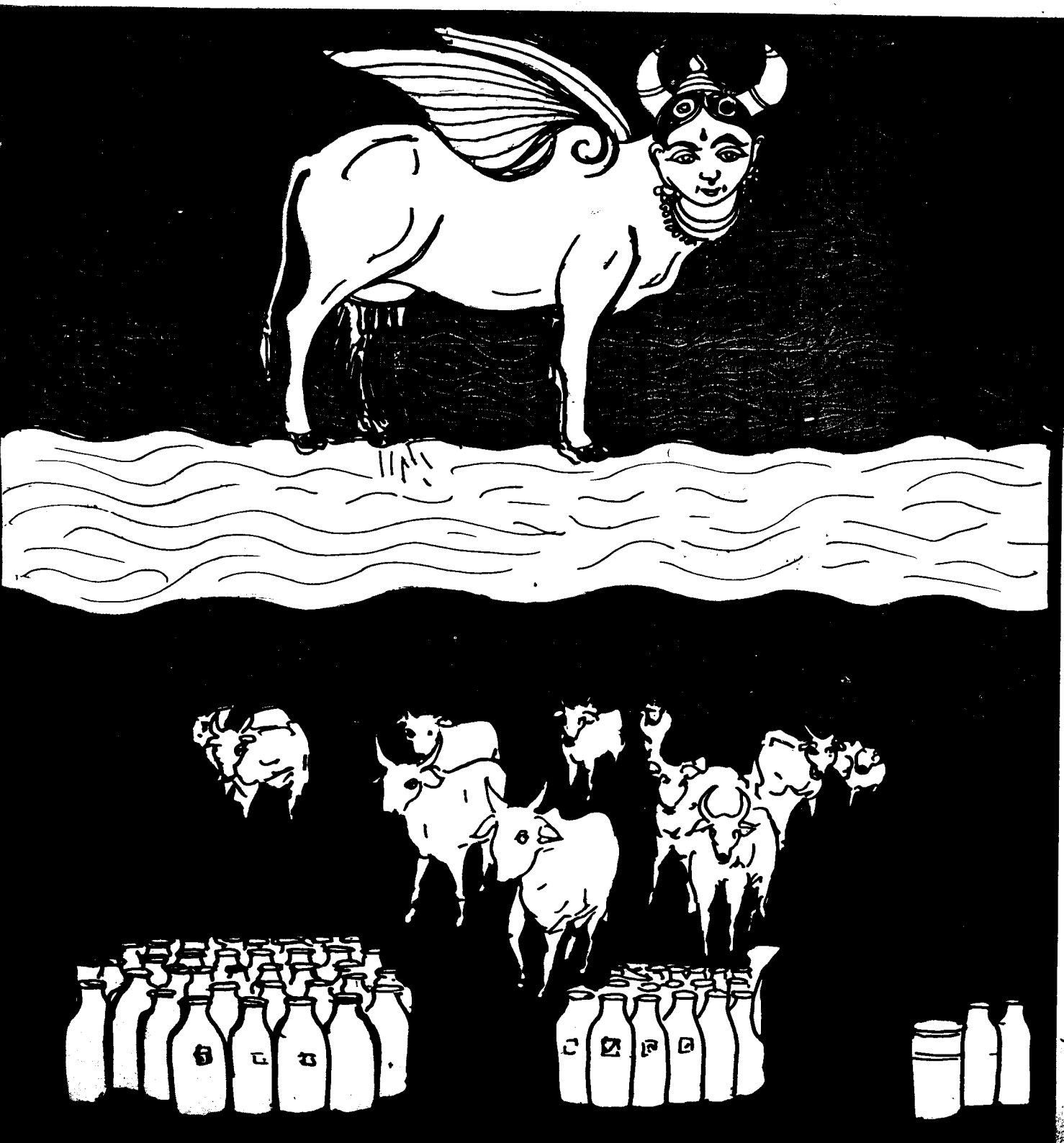

अमुल दूध कारखाना

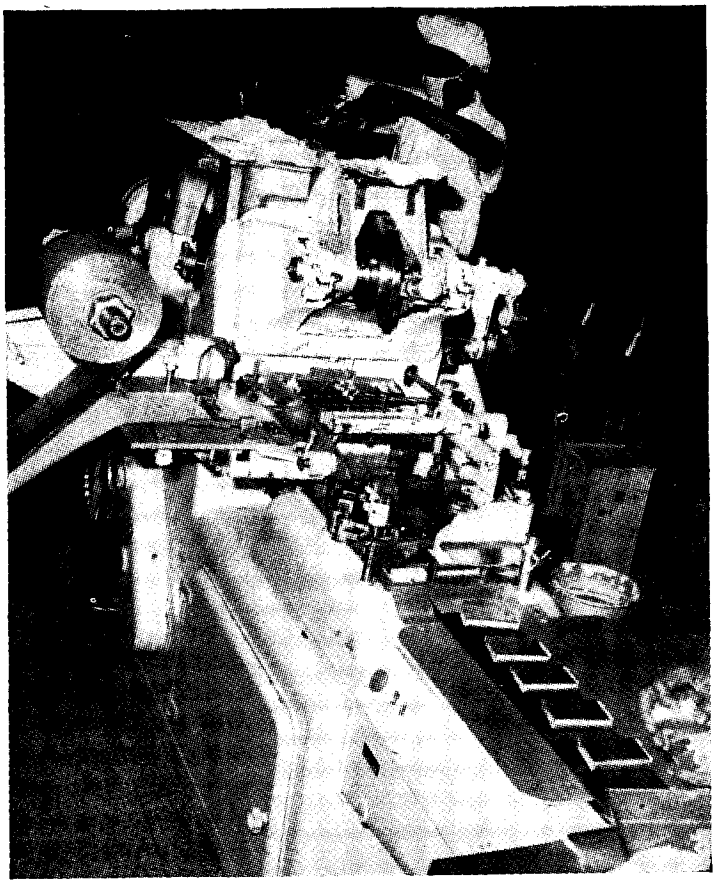

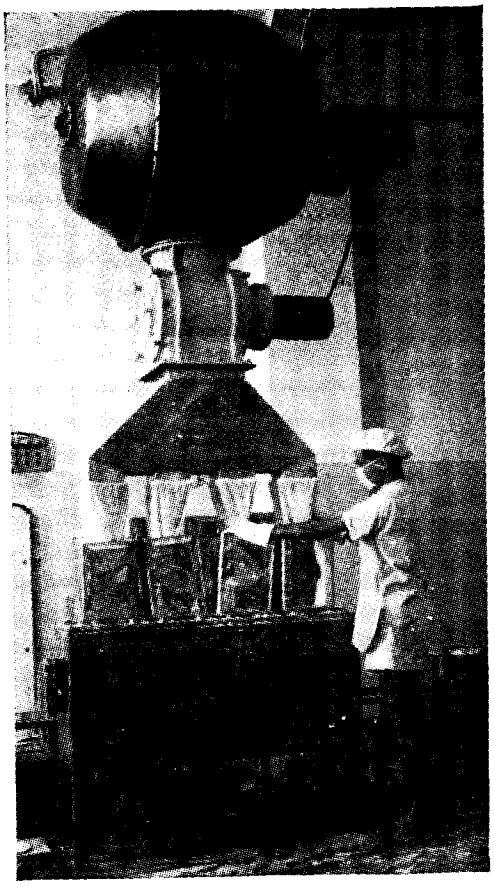

लोगों के लिए अधिक दूध और गरीबों के लिए अधिक आय

कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग ने लघु और सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों द्वारा दुग्ध उत्पादन के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट । जनवरी, 1972 को भारत सरकार को दी है । इस रिपोर्ट में राष्ट्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण समाज के गरीब तबकों की आय बढ़ाने के बारे में सिफारिशें की गई हैं । आयोग ने दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने, उनका बीमा करने, उन्हें अधिक बढ़िया चारा उपलब्ध कराने, बीमारियों की रोकथाम करने और दूध के विपणन की व्यवस्था आदि करने के लिए भी सुझाव रखे हैं । इन सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :—

इस समय देश में दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों की जितनी मांग है, उतनी मात्रा में वे उपलब्ध नहीं हैं । पशुपालन में हो रही वर्तमान प्रगति की दर बहुत धीमी है और इस गति से हम निकट भविष्य में दूध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते । अतः देश में दुग्ध उत्पादन की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए एक जोरदार कार्यक्रम तुरन्त ही शुरू किया जाना चाहिए ।

लघु और सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों को उपलब्ध सुविधाओं को पूरी तरह काम में लाकर और उनका विकास करके दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि लाई जा सकती है । इनकी एजेंसियों द्वारा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का समेकित विकास करके आर्थिक विकास में काफी सहायता मिल सकती है ।

आनन्द दुग्ध योजना के अनुभवों से इस बात का पता चला है कि छोटे किसान, मध्यम किसान और कृषि मजदूर दुग्ध उत्पादन को सहायक धन्धे के रूप में अपनाकर अतिरिक्त आय, बेहतर आहार और रोजगार के अधिक अवसर आदि के रूप में अनेक लाभ उठा सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समय चल रही बड़ी दुग्ध परियोजनाओं और भविष्य में चालू की जाने वाली दुग्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत लघु और सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को अधिक से अधिक संख्या में लिया जाना चाहिए । इस तरह से हम अपने ग्रामीण समुदाय के इन कमजोर तबकों कीआर्थिकदशा सुधारने के साथ-साथ दुग्ध उद्योग के सुसंगठित विकास में भी सहयोग दे सकेंगे । इस महान कार्य में "आपरेशन फ्लड" एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है । "आपरेशन फ्लड" चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सबसे बड़ी दुग्ध परियोजना है ।

शेष आवरण पृष्ठ 3 पर]

मजदूर संदेश

वर्ष 17 माघ 1893 अंक 4

इस अंक में पृष्ठ

आदिवासी अर्थतन्त्र में सहकारी समितियों की भूमिका 2
शिवकुमार पांडे
ग्राम विकास में पुस्तकालयों का योग 5
श्याम सुन्दर अग्रवाल
होली का स्वर सहकार है (कविता) 7
तारादत्त निर्विरोध
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधन 8
सत्यप्रसन्न सिंह भण्डारी
बढ़ती जनसंख्या और कृषि विकास 12
रामकृष्ण
कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग 14
कृषि उद्योग निगम की सेवाएं 16
आर० एल० शर्मा
कान्हा बरसाने में आइ जइयो 17
विनोद विभाकर
बम बरसते रहे, रेलें चलती रहीं 20
रामचन्द्र तिवारी
धरती का वरदान (कविता) 21
सुभाषचन्द्र 'सत्य'
म्हैसल गांव के हरिजनों में नया जीवन 22
अविनाश गोडबोले
नैगवां पंचायत प्रगति के पथ पर 24
अम्बिका प्रसाद मिश्र
पाठकों की राय 26
उर्मिल शर्मा
समाजवाद की स्थापना में बैंक राष्ट्रीयकरण का महत्व 27
राधामोहन श्रीवास्तव
बचत और देश की अर्थनीति 29
वाई० सी० हैलन
नहले पर दहला (कहानी) 31
श्रीराम शर्मा 'राम'
साहित्य समीक्षा 34
राज्यों के समाचार 35

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : आर० सारङ्गन

सुख-समृद्धि की राह पर

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने गरीबी से जूझने का फैसला किया था पर हमारे पड़ौसी पाकिस्तान ने तबसे लेकर अब तक हमें चैन की सांस नहीं लेने दी। उसका हमेशा ही हमारे खिलाफ जिहाद का नारा बुलन्द रहा और अब 1971 में आकर उसने बंगला देश में जो कुकर्म किए और हमारे खिलाफ जो हमला बोला उसका नतीजा अब दुनिया के सामने है। पर लगता है कि पाकिस्तान को ठोकर खाकर अभी भी अक्ल नहीं आई। उसके नए राष्ट्रपति मियां भुट्टो अभी भी धमकियों की भाषा बोलते जा रहे हैं और वे ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे पाकिस्तान के सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इन धमकियों से पाकिस्तान का भला हो या न हो पर हमारा भला अवश्य होगा। हम अपने सैनिक मोर्चे पर सतर्क और सावधान बने रहेंगे और अपनी सीमाओं की रक्षा के प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील नहीं आने देंगे।

पर हमारा असली मोर्चा गरीबी से जूझने का है। जहां हमने 1971 में युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन की कमर तोड़कर उसे सदा के लिए निर्वीर्य बना दिया है वहां अब 1972 में यह जरूरी है कि हम अपने देश की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी और भुखमरी पर जोरदार प्रहार करें। जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, हम अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पहले ही यह घोषणा कर चुकी हैं कि हमें अब विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना है। पर हमारे छोटे किसान और कृषि मजदूरों की स्थिति अभी भी बड़ी दयनीय है। इनमें से अधिकतर लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जहां खेती का सहारा लेते हैं वहां घी-दूध बेचकर भी अपना काम चलाते हैं। इनमें घोर अशिक्षा फैली हुई है और देश में समाज का यह सबसे पद्-लित और दीनहीन तबका है। देश में हुए कुछ छोटे-मोटे भूमि सुधारों तथा कृषि को मिलनेवाली सुविधाओं से खासकर बड़े किसानों को ही अधिक लाभ पहुंचा है जबकि इस तबके के लोग इस लाभ से वंचित रहे। पर अब यह तबका जग चुका है और ऊपर उठने के लिए आतुर है। दूसरी ओर सरकार भी इनके प्रति उदासीन नहीं है। छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की भलाई के लिए दो विशेष योजनाएं परीक्षण के तौर पर देश के अनेक क्षेत्रों में लागू हैं। अभी हाल में कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग ने अपने दो अन्तरिम प्रतिवेदनों में इन ग्रामीणों के लिए समन्वित ऋण सेवा तथा दुग्ध उद्योग द्वारा इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक विशाल सहायता योजना का सुझाव दिया है। यह सुझाव सचमुच ही बड़ा उपयुक्त है। इससे जहां गांवों में छोटे बड़े उद्योग-धन्धे पनप सकेंगे वहां दूध-घी का उत्पादन भी बढ़

शेष पृष्ठ 18 पर]

आदिवासी अर्थतन्त्र में सहकारी समितियों की भूमिका

शिवकुमार पाण्डे

स्वतन्त्रता के पश्चात् सहकारी आन्दोलन ने भारतीय अर्थतन्त्र को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस आन्दोलन ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा देकर भारतीय लोकतन्त्र के सभी पहलुओं को उद्वेलित करने का प्रयास किया है। यद्यपि इस आन्दोलन को अभी भी हम वास्तविक अर्थों में जन-आन्दोलन की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि भारत में वास्तविक रूप में सरकारी भूमिका ही आन्दोलन की पृष्ठभूमि में प्रमुख रही है तथापि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उसे जनता तक पहुंचाने का प्रयास बहुत अंशों में सफल ही है। ग्रामीणों में एक नई दिशा सामने आई है। ग्रामीण अर्थतन्त्र से आदिवासी अर्थतन्त्र को कुछ अर्थ में हम अलग करते हैं जहां इस आन्दोलन को अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सामाजिक पर्यावरण ने इस अर्थव्यवस्था को एक निश्चित सांचे में ढालकर आदिवासी जीवन को गैर आदिवासी ग्रामीण जीवन से अलग सा कर दिया है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तनों से ये क्षेत्र एकदम अछूते नहीं कहे जा सकते, फिर भी इन क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए आर्थिक परिवर्तनों को विशेष भूमिका अदा करनी है जिसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी सहकारिता क्षेत्र की है।

उत्पादन

आदिम जातीय समुदाय हमारे प्राचीन संस्कृति एवं गौरव के जीते जागते प्रतीक हैं। सदियों तक विदेशी दासता के बावजूद इन समुदायों ने भारतीय पुरातन संस्कृति को धरोहर की तरह संजोये रखा है। देश में स्वतन्त्रता के पूर्व भी अनेक परिवर्तन हुए पर ये क्षेत्र संस्कृति के संरक्षण एवं अर्थतन्त्र में शोषण के प्रतीक बने रहे। सामाजिक पर्यावरण ने इन समुदायों को सामाजिक संरचना से पृथक रखा। दुर्गम पर्वतों, घने जंगलों, पथरीली भूमि आदि में निवास करने से स्वाभाविक ही था कि उनकी अर्थव्यवस्था इसी के अनुरूप हो। आवागमन के साधनों से वंचित रहने के कारण पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तमाम लक्षणों से यह अर्थव्यवस्था घिरी रही। कृषि के प्राचीनतम तरीके प्रचलित रहे। आदिवासियों का झुकाव ऐसी अस्थायी कृषि की ओर बना रहा जिसे वनों को काटकर और जलाकर विशेष तरीके से कृषि करना होता है और जिसे बेझरा, पेड़ों, झूम, डहिया आदि नामों से पुकारा जाता है। पथरीली, ऊबड़-खाबड़ एवं वनों से आच्छादित भूमि के स्वरूप के कारण उसीके अनुरूप कृषि भी रही। दूसरे शब्दों में हम आदिवासी कृषि को ऐसी कृषि कह सकते हैं जिससे आदिवासी किसान का गुजारा भी ठीक तरह से नहीं चलता। इसमें भूमि उपजाऊ नहीं होती, सिंचाई की सुविधाएं नहीं होतीं, प्राचीन तौर तरीके प्रचलित होते हैं, कृषि उत्पादन मोटे अनाजों तक सीमित रहता है और वह भी कम उपज देनेवाला। कृषि के अतिरिक्त आदिवासी वनों पर आधारित हैं। वनों से ये लघु वनोपज इकट्ठा कर अपना भरण पोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त, वन मजदूरी, कृषि मजदूरी, एवं सड़कों की मजदूरी भी इनके जीवन यापन के साधन हैं। कुछ आदिम जातियां घरेलू उद्योग धन्धों द्वारा भी जीवन निर्वाह करती हैं। आवश्यकताएं कम हैं, गरीबी है, रहन सहन का स्तर निम्न है पर आदिवासी अपने परिवेश में मनोरंजन का वातावरण निर्मित कर उसी में अपने को खोए हुए है। अर्थव्यवस्था में ऋण से अत्यधिक ग्रस्त एवं शोषित होने के कारण बचत का नामो निशान भी नहीं है। ऋणग्रस्तता के कारण तो कहीं कहीं वह बन्धक श्रम (बाण्डेड लेबर) के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

अर्थ व्यवस्था

आदिवासी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य उत्पादन एवं उपभोग की दिशा है। प्रमुख उत्पादन कृषि एवं वनोपज हैं। अब हमें यह देखना है कि ये उत्पादन कब, कहां एवं कैसे उपभोग की ओर अग्रसर होते हैं एवं आदिवासी अपने उपभोग की वस्तु किस प्रकार प्राप्त करता है। आदिवासी क्षेत्र का कृषि उत्पादन फेरीवाले व्यापारियों द्वारा सस्ते मूल्य पर खरीद कर बाहर भेजा जाता है। इससे ऐसा लगता है कि आदिवासी के पास अधिक अन्न पैदा होता है जिसे वह व्यापारी के हाथ बेच देता है पर स्थिति ऐसी नहीं। उत्पादन तो उसके स्वयं के उपभोग के लिए भी भरपूर नहीं हो पाता। तो फिर परिस्थितियों की मार से उसे बाध्य होकर सीजन में उत्पादन का अधिक अंश दूसरों को ही बेचना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि ऐसे समय आदिवासी पैसे या अन्न उधार के रूप में व्यापारियों से प्राप्त करता है जबकि उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। ये पेशेवर व्यापारी या बड़े किसान (जिनमें आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों ही शामिल हैं) उन्हें मदद कर एक जबरदस्त भार उनके ऊपर लाद देते है। पैसे ब्याज दर पर एवं वस्तु डेढ़ौढ़े के रूप में अदायगी की शर्त पर दी जाती है। साथ ही साथ यह भी शर्त होती है कि वह फसल आने पर अदा अवश्य करेगा। व्यापारी वस्तुओं में अन्न, कपड़ा एवं अन्य उपभोग की वस्तुएँ अधिक कीमत

पर देकर पैदावार के समय वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-धार्मिक संस्कारों के निमित्त लिए गए कर्ज को चुकाने का समय भी फसल आने पर ही होता है। इन सबको मनमानी ब्याज पर उसे बाध्य होकर चुकाना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कुछ तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बेचना पड़ता है। इस प्रकार सस्ते एवं मनमाने तौर पर कृषि उत्पादन का अधिक अंश भी समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बोनी के समय लिया गया उधारी बीज भी लौटाना आवश्यक होता है जो ड्योढ़े की शर्त पर लिया गया है।

यही हालत जंगली पैदावार की होती है। महुवा, चिरोंजी, गोंद, हर्रे,लाख, कत्था इत्यादि बेचने का उचित मूल्य भी आदिवासी प्राप्त नहीं कर पाता। चिरोंजी सरीखी मंहगी चीज नमक से बदलकर प्राप्त कर ली जाती है। मजदूरी भी उसे उचित प्राप्त नहीं होती। व्यापारी उचित कीमत तो देते नहीं, तौल में भी आदिवासियों की अशिक्षा का लाभ उठाकर अधिक माल प्राप्त कर लेते हैं। पैसे के लेन देन में भी गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि अभी भी नए पैसे के लेनदेन को समझने में आदिवासी पूर्णतः असमर्थ हैं। वे गिनती अधिक से अधिक 20 तक जानते हैं। तौल में स्थानीय माप (पायली, कुडो, तामी, मांद आदि) का प्रयोग ही किया जाता है। ग्राम का हिसाब उनकी समझ के बाहर है। इससे व्यापारी को कम भुगतान कर अधिक माल की प्राप्ति में सुविधा रहती है। अदला-बदली में भी गड़बड़ियां की जाती हैं। इस प्रकार आदिवासी क्षेत्र का उत्पादन सस्ते दर पर इन मध्यस्थों के प्रयास से आदिवासी क्षेत्र से बाहर निकल जाता है।

जहां तक आदिवासियों के उपभोग का सवाल है अभी भी उसकी आवश्यकताएं कम हैं। इन सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उचित मूल्य पर वस्तुएं नहीं प्राप्त कर पाता। आवागमन के साधनों के अभाव में अधिक मूल्य पर सामान बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाता है। इन क्षेत्रों में बाजार अधिक संख्या में नहीं हैं। जो बाजार हैं वे आदिवासी ग्रामों से अत्यधिक दूरी पर हैं। इन बाजारों के अतिरिक्त इन ग्रामों में उपभोक्ता दूकानें नहीं के बराबर हैं जहां से अधिक मूल्य पर भी आवश्यकता का सामान प्राप्त किया जा सके। ये बाजार सातवें दिन लगते हैं। इसके अतिरिक्त, इन बाजारों में स्थित इक्के दुक्के व्यापारी घंटे दो घंटे के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं लेकर इन ग्रामों का चक्कर लगा लेते हैं। इस चक्कर में मनमाने भाव से वस्तुओं की बिक्री करते हैं। आदिवासियों में मुख्यतः नमक, तम्बाकू, साबुन, तेल, मोटे कपड़े एवं मसाले आदि ही बेचने की वस्तुएं होती हैं, आदिवासी बाजारों में तो ये सामान मंहगे मिलते ही हैं उससे भी मंहगे फेरीवालों द्वारा बेचे जाते हैं। ये उन्हें नकद, वस्तु के बदले एवं उधारी तीनों प्रकार से बेचकर किसी न किसी प्रकार आदिवासियों को चंगुल में फंसाए रखते हैं।

आदिवासी सरकारी सुविधाओं एवं संरक्षण का लाभ नहीं उठा पाता। आदिवासी क्षेत्र की इन समस्याओं की ओर सदैव ही अनुसन्धानकर्त्ताओं का ध्यान नहीं गया है। समय समय पर इन क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित कमीशन एवं कमेटियों ने प्रभावशाली उपाय सुझाए हैं जिनके फलस्वरूप इन मध्यस्थों एवं शोषणकर्त्ताओं के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर मुहिम चलाई गई। विशेष संरक्षण एवं सुविधाएं प्रदान कर इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन हुआ।

सहकारी समितियां

आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन पर अत्यधिक जोर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम चरण में दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन पर व्यय के लिए 273.40 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बड़े पैमाने पर सहकारिता की गतिविधि इन क्षेत्रों में फैलाई गई जिनमें प्रमुख रूप से बहुद्देशीय सहकारी समितियों, वन श्रमिक सहकारी समितियों एवं अन्न भंडारों का गठन हुआ। मध्यप्रदेश में, जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, द्वितीय योजना काल के अन्त में बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों की संख्या 269, वन श्रमिक सहकारी समितियों की 11 एवं अन्न भंडार (ग्रेन गोला) की 419 थी जबकि यह संख्या तृतीय योजना काल में बढ़कर क्रमशः 424, 156 एवं 794 हो गई। ये आंकड़े इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि तृतीय योजना काल में सहकारी समितियों के गठन पर आदिवासियों की शोषण मुक्ति के लिए विशेष ध्यान दिया गया। अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण एवं ढेबर आयोग ने सहकारी समितियों के गठन को शोषण से मुक्ति का एकमेव हल माना था। इन समितियों का उद्देश्य था बिचौलियों को समाप्त कर उचित मूल्य पर आदिवासियों की आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि एवं आदिवासियों को उनके कृषि उत्पादन तथा वनोपज का उचित मूल्य उपलब्ध कर हर प्रकार के शोषण से राहत प्रदान करना। अन्न भंडारों के माध्यम से सवाई ड्योढ़े की प्रथा समाप्त करना। वन श्रम को नियोजित कर उन्हें उचित पारिश्रमिक एवं श्रम की व्यवस्था करना।

मध्यप्रदेश में तृतीय योजना काल में ही इन समितियों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप से गति प्रदान करने तथा आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आदिवासी सहकारी विकास निगम का गठन किया गया। इस प्रकार की सहकारिता की गतिविधियों के फैलाव से समस्त शोषणकर्त्ता दहल उठे जो वर्षों से उन्हें अपने चंगुल में फंसाए हुए थे। आरम्भ में निगम एवं सहकारी समितियों ने आदिम क्षेत्रों को बहुत राहत पहुंचाई। सन् 1965 के अकाल के समय आदिवासी क्षेत्रों की राहत में इन समितियों ने जो भूमिका निभाई वह अपने आप में एक महान सराहनीय कदम रहा। यदि ये समितियां गठित नहीं हुई होतीं तो न जाने कितने आदिवासी काल कवलित हो

जाते एवं कितने बिचौलिये उन्हें लूटकर मालामाल हो जाते। पर धीरे धीरे इन समितियों का कार्य संकुचित होने लगा और वर्तमान में हालत यहां तक पहुंची कि अधिकांश समितियां बन्द पड़ी हैं। आदिवासी पुनः मध्यस्थों के चंगुल में आ गया है। परन्तु इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि वर्तमान परिस्थिति में भी आदिवासी अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने एवं शोषण मुक्ति का एकमात्र विकल्प ये सहकारी समितियां ही हैं। सहकारी विपणन समितियां या अन्य सहकारी योजनाएं यद्यपि इन क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं पर बेचारा आदिवासी पहले से ही मध्यस्थों के चंगुल में फंसे रहने के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाता। आज आवश्यकता है आदिवासी क्षेत्र को फिर से गतिशील बनाने की और इसके लिए आवश्यक है विगत का मूल्यांकन करना तथा भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करना।

मूल्यांकन

भविष्य में इन समितियों को किस प्रकार गतिशील बनाया जाए इसके पूर्व यह बात विचारणीय है कि ये समितियां इस हालत में आईं कैसे ? समितियों के फैलाव से शोषक, निहित स्वार्थ मध्यस्थ, ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार, फेरीवाले इन सबका माथा ठनका और वे इनका विरोध करने लगे, क्योंकि इनके द्वारा आदिवासियों की लूट का जरिया खत्म होने जा रहा था। इन सबने जी जान से प्रारम्भ में ही इन समितियों को बैठा देना चाहा। ये समितियों के व्यापार में तथा कार्य संचालन में रोड़े अटकाने एवं आदिवासियों में इनका गलत प्रचार कर भड़काने लगे। आदिवासियों के बीच एक प्रकार का भ्रम पैदा करने लगे कि सरकार इन समितियों के माध्यम से तुम्हारा सब कुछ ले लेगी। इससे आदिवासियों में इनके प्रति एक प्रकार की उपेक्षा पैदा हुई। इसके अतिरिक्त, तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक संख्या में समितियों के गठन से व्यवस्था के लिए जिन कर्मचारियों का चयन हुआ वे इस कार्य में दक्ष नहीं थे। वे सहकारिता के उद्देश्यों से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति से, लेखा-जोखा की बारीकियों से, कानूनी मर्यादाओं से एवं मध्यस्थों की चुनौतियों से अनभिज्ञ थे। प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में अप्रशिक्षित लोगों का भी चयन करना पड़ा। आदिवासी क्षेत्रों में अकाल की स्थिति थी। आवागमन के साधनों की कमी के बावजूद आदिवासी दूरस्थ ग्रामों में राहत सामग्री पहुंचानी थी। कार्य अधिक आ गया जिसके बोझ को अप्रशिक्षित कर्मचारी सम्भाल नहीं पाए। लेखा ठीक से रख नहीं पाए। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अकाल की स्थिति को सम्भालने में इन कर्मचारियों ने काफी मदद की। इन सबके बावजूद अशिक्षा के कारण आदिवासी सहकारिता में निहित भावना का अर्थ समझ नहीं सके जिससे वे इन समितियों के प्रति उदासीन हो गए। प्रबन्ध-व्यवस्था में जो आदिवासी सामने आए वे अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की ओर अपना ध्यान नहीं दे सके। इन कारणों ने धीरे धीरे समितियों को बन्द होने की अवस्था में पहुंचा दिया।

भविष्य की रूपरेखा

विगत के मूल्यांकन में प्रमुख रूप से तीन बातें हमारे सामने आईं :— 1. मध्यस्थों के उग्र विरोध के कारण समितियों के कार्य संचालन में बाधा उपस्थित होना, 2. अनुभवहीन एवं अप्रशिक्षित व्यवस्थापकों के ऊपर कार्य का अधिक बोझ, एवं 3. अशिक्षा के कारण आदिवासियों में दायित्व बोध की कमी।

उपर्युक्त तीन तथ्यों को दृष्टिगत रखकर हम भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं एवं समितियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मध्यस्थों के विरोध का सामना तो हर स्थिति में इन समितियों को करना ही पड़ेगा, इसके लिए व्यवस्था में लगे व्यवस्थापक एवं आदिवासियों को चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। आदिवासी तभी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं जब ये समितियां उनके लाभ के लिए कार्य करके दिखाएं। कर्मचारी अब कार्य संचालन का प्रशिक्षण अधिक संख्या में प्राप्त कर चुके हैं। सेवा की भावना एवं लगन पैदा करना आवश्यक है। आदिवासियों को भी उनके दायित्व से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे सहकारिता की भावना से भलीभांति परिचित हो सकें। इसके लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं की लगनशीलता के लिए आवश्यक है उनका एक कैडर हो। इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है— (1) व्यवस्थापक (समितियों की व्यवस्था के लिए), (2) वरिष्ठ व्यवस्थापक (जो जिले में दो या तीन की संख्या में हो) जिनका चयन समिति के उन कुशल व्यवस्थापकों में से किया जा सकता है जिन्होंने समिति के सहकारी आदर्शों का पालन करते हुए, आदिवासियों के हितों की रक्षा करते हुए तथा समिति की व्यापारिक एवं माली हालत ठीक रखते हुए कार्य किए हों, (3) निरीक्षक जो सहकारिता निरीक्षक एवं आदिवासी विभाग के मंडल संयोजक के अतिरिक्त हों और जिनकी जिम्मेदारी पूरे जिले की समितियों के सफल संचालन की हो। ये वरिष्ठ व्यवस्थापकों में से चुने जा सकते हैं। इस कैडर से व्यवस्थापकों में कार्य के प्रति रुचि जाग्रत होगी। लगनशीलता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा की भावना का संचार होगा। भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें कार्य के प्रति उदासीन बना दिया है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि व्यवस्थापक की भूमिका एक सहकारी समिति के संचालन में अत्यधिक महत्व रखती है और आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से। इस प्रकार आदिवासियों की रुचि जाग्रत कर एवं व्यवस्थापकों के भविष्य की रूपरेखा बताकर समितियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस हेतु सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अत्यावश्यक है। सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करके ही हम आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिला सकते हैं।

ग्राम विकास में पुस्तकालयों का योग

श्याम सुन्दर अग्रवाल

पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है और उसका प्रमुख कार्य व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति की भूख को तृप्त करना है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अवकाश के समय का सदुपयोग करने का भी साधन है तथा निरन्तर समाज कल्याण में रत संस्था है।

यह तथ्य है कि भारत की 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इंगलैण्ड, अमरीका आदि अन्य प्रगतिशील देशों में ऐसा नहीं है। वहां मुश्किल से कुल जनसंख्या का $\frac{1}{4}$ भाग ही ग्रामों में निवास करता है जबकि भारत में 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में ही नहीं वरन् उसमें से भी 75 प्रतिशत जनसंख्या बहुत ही छोटे छोटे ग्रामों तथा पुरवों में रहती है। केवल 15 प्रतिशत जनसंख्या ऐसे कस्बों तथा नगरों में रहती है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। अन्य 10 प्रतिशत जनसंख्या उन नगरों तथा महानगरों में रहती है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि यदि पुस्तकालय एक समाज-कल्याण की संस्था है और यदि 'ग्रन्थ सर्वार्थ है' तो ग्रामीण जनता को भी पुस्तकालय सेवा प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण जनता को नगरीय जनता की अपेक्षा चलचित्र, खेल-खिलौने, चार्ट तथा मानचित्र आदि देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। अतः उनका समस्त ज्ञान आवश्यकता तथा प्रत्यक्ष अनुभव पर ही आधारित होता है। उनके पास अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर श्रेष्ठ नागरिक बनने तथा कृषि के वैज्ञानिक ढंग के उपकरण अपनाकर कृषि को उन्नत करने से सम्बन्धित साहित्य का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, वे अपना अवकाश का समय बेकार बातों तथा आपसी झगड़ों, द्वेष आदि में समाप्त कर देते हैं। अतः ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे पुस्तकालय स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है जो इनका प्रत्येक क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन कर सकें।

पुस्तकालय का महत्व केवल नगरों तथा महानगरों के लिए ही नहीं, अपितु ग्रामों में भी पुस्तकालय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्राम्य पुस्तकालय के माध्यम से वहां के निवासी अपने निकटस्थ नगरों और देश के अन्य भागों तथा विभिन्न विषयों की जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम्य पुस्तकालय केवल ग्रामीणों को नगरों या देश के अन्य भागों के समीप ही नहीं पहुंचाता वरन् उनके व्यक्तिगत जीवन को सुधारने तथा उन्हें एक सफल नागरिक बनाने में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि ग्राम्य पुस्तकालय को उपयोगी तथा मनोरंजक साहित्य उपलब्ध कराया जाए।

सर्वप्रथम पुस्तकालय का यह कार्य होगा कि वह वहां के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करे। जब तक लोगों में पुस्तकालय के रुचि और उत्साह उत्पन्न न हो और वे वहां के संग्रहीत साहित्य का अधिकाधिक उपयोग न करें तो ग्राम्य पुस्तकालय की स्थापना निरर्थक सिद्ध होगी। जन साधारण को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि वहां के लोगों की रुचि तथा आवश्यकता का ही साहित्य प्रचुर मात्रा में मंगाया जाए। समय समय पर पुस्तकालय द्वारा चलचित्र आदि दिखाकर जन साधारण को पुस्तकालय के प्रति आकर्षित किया जा सकता है।

पंचायत का योग

ग्राम्य पुस्तकालय की स्थापना करने में पंचायतें भी काफी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। वे अपनी पंचायत की बैठक में अपने ग्राम में पुस्तकालय की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। कुछ उत्साही तथा जन हितैषी लोगों के सहयोग से कुछ धनराशि चन्दे के रूप में एकत्रित करके तथा कुछ धनराशि पंचायत कोष में से देकर एक पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे उसका विकास किया जा सकता है।

संचालन

केवल पुस्तकालय की स्थापना ही ग्रामीणों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है अपितु उस पुस्तकालय का कुशल संचालन भी आवश्यक है। कुशल संचालन के अभाव में प्रचुर साहित्य से भरपूर पुस्तकालय भी निरुपयोगी सिद्ध होता है। अतः कुशल संचालन के लिए आवश्यक है कि एक 'पुस्तकालय समिति' का गठन किया जाए। यदि पुस्तकालय पूर्णरूप से पंचायत द्वारा स्थापित किया गया है तो इसके संचालन का उत्तरदायित्व पंचायत अपनी शिक्षा समिति को सौंप सकती है। पुस्तकालय समिति में एक या दो ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यों का अच्छा ज्ञान हो। पुस्तकालय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. अच्छे उत्साही तथा प्रशिक्षित ग्रन्थपाल की नियुक्ति करना और उसका वेतन तथा काम के घण्टे निश्चित करना।

2. पुस्तकालय के लिए धन की व्यवस्था करना।
3. आवश्यक, उपयोगी तथा मनोरंजक साहित्य मंगाना।
4. पुस्तकालय के खुलने तथा बन्द होने का समय निश्चित करना, और
5. नियम-उपनियमों का निर्माण करना।

उपर्युक्त समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से करवाने के लिए आवश्यक होगा कि पुस्तकालय समिति समय समय पर अपनी बैठकें बुलाए जिसमें ग्रन्थपाल तथा ग्राम के अन्य कुछ प्रतिष्ठित तथा शिक्षित व्यक्ति आमन्त्रित किए जाएं तथा सबकी उपस्थिति में पुस्तकालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाए तथा उनके निराकरण के उपाय सुझाए जाएं। पुस्तकालय का कार्य भलीभांति हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी समिति द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

ग्रन्थ चयन

प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक ही तरह का ग्रन्थ चयन उचित नहीं रहता। उदाहरणार्थ, कृषि महाविद्यालय तथा अभियान्त्रिकी महाविद्यालय दोनों के ही लिए यदि कृषि से सम्बन्धित पुस्तकों का चयन किया जाए तो ये पुस्तकें जहां कृषि महाविद्यालय के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी वहीं अभियान्त्रिकी महाविद्यालय के लिए निरुपयोगी तथा अनावश्यक सिद्ध होंगी। अतः किसी भी पुस्तकालय के लिए ग्रन्थ चयन करते समय वहां की स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम्य पुस्तकालय के लिए ग्रन्थ चयन करते समय ग्रन्थों की निम्न विशेषताओं पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

1. ग्रन्थ पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें।
2. ग्रन्थ अत्यन्त सरल तथा सादा भाषा में हों।
3. ग्रन्थ ग्रामों की सामान्य समस्याओं तथा उनके निराकरण से सम्बन्धित हों।
4. ग्रन्थ उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की दिशा में सहायक हों।

यदि ग्राम्य पुस्तकालय में नीचे दिए गए विषयों में सम्बन्धित ग्रन्थों का संकलन किया जाए तो वह पुस्तकालय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा : (1) कृषि के उन्नतिशील वैज्ञानिक तरीकों से सम्बन्धित ग्रन्थ, (2) नवीन कृषि उपकरणों के महत्व से सम्बन्धित ग्रन्थ, (3) पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उन्हें स्वस्थ रखने आदि से सम्बन्धित ग्रन्थ, (4) शारीरिक स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य से सम्बन्धित ग्रन्थ, (5) धार्मिक ग्रन्थ या उनके पात्रों के चरित्रों के आधार पर धार्मिक कहानियों का संकलन, (6) लोक कथाओं से सम्बन्धित ग्रन्थ, (7) सामुदायिक योजनाओं द्वारा ग्रामों के विकास से सम्बन्धित ग्रन्थ।

ग्रन्थपाल

प्रचुर साहित्य से भरपूर पुस्तकालय भी योग्य एवं कुशल ग्रन्थपाल के अभाव में अपने उद्देश्य से भटक सकता है। ग्राम्य पुस्तकालय के ग्रन्थपाल का चयन तो और भी महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य है। क्योंकि इस पुस्तकालय के लिए ऐसा कार्यकर्त्ता चाहिए जिसे ग्रामीण जीवन का अनुभव हो, जो ग्रामीणों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से परिचित हो। यदि किसी नगरवासी को ग्राम्य पुस्तकालय का ग्रन्थपाल नियुक्त किया जाए तो वह उनकी सेवा उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर सकेगा जितनी अच्छी सेवा प्रदान करना पुस्तकालय का उद्देश्य होता है। नगरवासी न तो ग्राम में रहना ही पसन्द करेगा और अगर किसी प्रकार रहना भी चाहे तो उसका ज्ञान ग्रामों के बारे में केवल किताबी ही होगा। किताबी ज्ञान जब तक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित न हो तब तक अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता।

इसके लिए यदि पुस्तकालय समिति जरा भी बुद्धिमत्ता से सोचे तो इसके लिए श्रेष्ठ व सरल मार्ग अपना सकती है। पुस्तकालय समिति गांव के ही किसी पढ़े-लिखे उत्साही नवयुवक को स्वयं के व्यय-भार से पुस्तकालय प्रशिक्षण प्राप्त कराके ग्रन्थपाल नियुक्त कर सकती है। वह नवयुवक गांव में ही जन्म लेने, पलने तथा निवास करने के कारण वहां की प्रत्येक बात से परिचित होगा। उसका सोचने का दृष्टिकोण भी नगरवासी की अपेक्षा भिन्न होगा। अपने ही गांव का होने के कारण गांव के लोग उसकी बात को अधिक ध्यान तथा विश्वास के साथ सुनेंगे और मानेंगे।

जहां तक ग्रन्थपाल के वेतन का प्रश्न है वह तो समिति के आर्थिक साधनों के अनुरूप ही दिया जा सकता है। परन्तु फिर भी यदि ग्रन्थपाल पूर्णकालिक कार्य केवल पुस्तकालय के लिए ही करता है तो उसे उसके जीवन निर्वाह योग्य राशि तो मिलनी ही चाहिए। यदि पंचायत के साधन सीमित हैं और वह पूर्णकालिक ग्रन्थपाल का वेतन-भार वहन करने में असमर्थ हो और यदि अवैतनिक उत्साही साधन-सम्पन्न कार्यकर्त्ता प्राप्त हो सके तो बहुत ही अच्छा है। यदि पूर्णकालिक अवैतनिक ग्रन्थपाल उपलब्ध न हो तो आंशकालिक भत्ते पर कार्य करने वाले किसी प्रेमी व्यक्ति को ग्रन्थालय प्रशिक्षण दिलवाया जाए। इसके लिए स्थानीय विद्यालय के किसी ग्रन्थ प्रेमी शिक्षक की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

ग्रन्थपाल के कार्य

ग्राम्य पुस्तकालय के ग्रन्थपाल को निम्नलिखित कार्य करने होंगे :—(1) ग्रामीणों की रुचि तथा आवश्यकतानुकूल पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य सामग्री का चयन तथा अर्जन करना, (2) सदस्यों का लेखाजोखा रखना, (3) ग्रन्थ आदान प्रदान का लेखा-जोखा रखना, (4) ग्राम पंचायत तथा वहां की अन्य शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखना, (5) समय समय पर पुस्तकालय के प्रचार के लिए कुछ सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पुस्तकालय की ओर से प्रस्तुत करना, (6) ग्रामीणों से मिलकर उनकी

समस्याओं को जानना तथा मौखिक रूप में उनका निराकरण करना और उन पुस्तकों के बारे में बताना जिनमें उनकी समस्याओं का निराकरण अधिक विस्तृत रूप में मिल सके।

एक समय था जब ग्रन्थपाल का मुख्य कर्त्तव्य ग्रन्थों को सुरक्षित रखना था। परन्तु धीरे धीरे यह विचारधारा परिवर्तित हो गई। आधुनिक युग में ग्रन्थपाल का कर्त्तव्य पाठकों को समुचित ग्रन्थालय सेवा प्रदान करना है। श्रेष्ठ ग्रन्थपाल केवल पुस्तकालय में आने वालों को ही सन्तुष्ट नहीं करता वरन् अपने क्षेत्र के प्रत्येक स्त्री-पुरुष, बाल-युवा और वृद्ध आदि सभी को अपने पुस्तकालय का सदस्य बनाना चाहता है। वह केवल साक्षरों को ही नहीं वरन् निरक्षरों को भी इस ओर आकर्षित करके उनको साक्षरता की ओर प्रेरित करता है।

पुस्तकालय की स्थापना, कुशल संचालन तथा उपयोगी ग्रन्थ संग्रह के बावजूद भी सम्भव है कि अधिक लोग पुस्तकालय की ओर आकर्षित न हों। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय को लोकप्रिय बनाने के लिए समिति द्वारा कुछ सक्रिय प्रयत्न किए जाएं। पुस्तकालय को लोकप्रिय बनाने के लिए समिति निम्नांकित कार्य कर सकती है :

वाचन की सुविधा

साक्षर लोग तो पुस्तकालय में आकर कुछ न कुछ पढ़ लिख सकते हैं परन्तु बेचारे निरक्षर तो पुस्तकालय के पास से भी नहीं गुजरते। पुस्तकालय द्वारा कुछ ऐसे समाजसेवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए जो समय निकाल कर साहित्य वाचन द्वारा निरक्षरों को कुछ ज्ञान प्रदान कर सकें। दैनिक समाचार पत्र पढ़कर देश-प्रदेश की मुख्य मुख्य घटनाओं से परिचित करा सकें और उनमें पठन-पाठन की रुचि जाग्रत कर सकें जिससे वे साक्षर बनने का प्रयत्न करें।

पुस्तकालय सप्ताह में एक दिन शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, आचार- व्यवहार अथवा दैनिक जीवन की किसी समस्या से सम्बन्धित चित्रों का प्रदर्शन करके साक्षर तथा निरक्षर दोनों प्रकार के लोगों को लाभान्वित कर सकता है। मनोरंजन तथा ज्ञानार्जन के साथ साथ अनेक उदासीन लोगों को सक्रिय पाठक बनाने में भी इस प्रकार का कार्यक्रम सफल सिद्ध हो सकता है। आजकल देश विदेश में इस प्रकार के अनेक चलचित्रों का निर्माण हो रहा है जो पुस्तकालयों द्वारा समय समय पर प्रदर्शित किए जाते हैं। चलचित्र के अतिरिक्त ग्रामोफोन रिकार्डस के प्रयोग से भी ग्रामीणों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित किया जाता है।

चलचित्र प्रदर्शन

पुस्तकालय को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए नाटक परिमण्डलों, संगीत-मण्डलों आदि का गठन किया जा सकता है तथा समय समय पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों को अपने यहां आमन्त्रित करके उनके भाषणों का आयोजन किया जा सकता है। पुस्तकालय द्वारा वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। इन प्रतियोगिताओं में सफल होने के लिए पाठक अधिकाधिक सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो लोग भाषण सुनने के लिए उपस्थित होंगे उनके मन में भी इसी प्रकार बोलने की इच्छा जाग्रत हो सकती है और इस प्रकार पुस्तकालय को अधिकाधिक पाठक मिलने की सम्भावना हो जाती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि ग्राम पंचायतें चाहें तो ग्राम में ग्राम्य पुस्तकालय की स्थापना की जा सकती है और उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया सकता है। केवल पुस्तकालय ही एक ऐसा सक्षम साधन हैं जो ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके द्वारा दृष्टिकोण को विस्तृत किया जा सकता है तथा धीरे धीरे पुरानी रूढ़ियों से भी उनको मुक्त किया जा सकता है। पुस्तकालय का उपयोग करने से उन्हें संसार की बदलती हुई अवस्था का ज्ञान होगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात की प्रेरणा भी मिलेगी कि संसार, देश तथा समाज के साथ चलने के लिए स्वयं को बदलना आवश्यक है। ✧

होली का स्वर सहकार है

तारादत्त निर्विरोध

चंग बजाती टोली आई,
रंग लुटाती होली आई,
दूर दूर मत रहो मिलन का बहुरंगी त्यौहार है !
रंगों की बौछार है
हृदय जुड़ाती,
भेद मिटाती,
जीवन के दुख दर्द भुलाती,
सत्य विजय की होली, इसका पहला स्वर सहकार है !
प्रेम जताती,
फागुन गाती,
दलित वर्ग को गले लगाती,
सबको हर्ष विभोरित करती, होली वह त्यौहार है !
नीले पीले
सूखे गीले,
कई तरह के रंग सजीले,
कोई बन्धन नहीं, एकता होली की सरकार है !

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधन

[क्या पंचायती राज संस्थाओं के पास कोई कार्यक्रम नहीं है और क्या वे निष्क्रिय हो रही हैं ? और क्या सरकार द्वारा उन्हें जो वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाते थे वे बन्द कर दिए गए हैं ? विद्वान लेखक ने इन प्रश्नों का तर्क सहित उत्तर दिया है और वस्तु-स्थिति पर प्रकाश डाला है। —सम्पादक]

सत्यप्रसन्न सिंह भण्डारी

स्वर्गीय बलवन्त राय मेहता ने पंचायती राज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि "वास्तव में उत्तरदायित्व और अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना तब तक सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक निजी आमदनी कायम करने और उसे बढ़ाते रहने का कानूनी अधिकार पूरी तरह इन संस्थाओं को प्रदान नहीं किया जाता।" ग्रामीण विकास का कार्य वास्तव में तभी शीघ्र और प्रभावोत्पादक ढंग से सम्पन्न हो सकता है जबकि स्वयं ग्रामीण संस्थाएं इसमें रुचि लें और इसमें इन संस्थाओं की रुचि उत्पन्न करने के लिए लोकतान्त्रिक ढंग से इनका गठन किया जाए।

पंचायती राज वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा के० सन्थानम् की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन के प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि "दुनिया के किसी भी राज्य में बिना 'पर्याप्त राजकीय सहायता' के स्थानीय संस्थाओं का कार्य सुचारु रूप से नहीं जम सकता। साथ ही यदि वे संस्थाएं पूरी तरह केवल सरकारी अनुदान व ऋण पर ही आश्रित रहीं तो एक स्वशासित संस्था की जो स्वायत्तता और प्रतिष्ठा होती है उससे वंचित रह जाएंगी। अतः इन संस्थाओं के स्थायित्व तथा अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि इनके पास अपने स्वयं के ऐसे साधन हों जिनका विकास वे अपनी जरूरतों के लिए कर सकें।"

राजस्थान में 12 वर्ष पूर्व जब लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की गई थी, उक्त दोनों तथ्यों का खूब बारीकी से अध्ययन करके ही इस दिशा में कदम उठाया गया था। यद्यपि आरम्भिक अवस्था में पंचायत समितियों की आय का एक बड़ा भाग सरकार द्वारा ऋण व अनुदानों के रूप में दिया जाता था किन्तु इन संस्थाओं को अपनी 'निजी आय' बढ़ाने के लिए कानूनी अधिकार भी दिए गए थे जिनके द्वारा वे आर्थिक साधन बढ़ा सकें।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद करारोपण नियम 3 (2) के अन्तर्गत पंचायत समिति को कृषि भूमि के लगान पर पांच पैसे प्रति रुपए की दर से या जिस भूमि पर लगान नहीं दिया जाता उस पर कूते हुए लगान पर उपकर लगाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और आजीविका पर भी व्यावसायिक कर लगाने का नियमों में प्रावधान है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए भी उपकर लगा सकती है। इसके अतिरिक्त, पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में लगने वाले मेले भी पंचायत समिति की आय के साधन हो सकते हैं।

एक लोकतन्त्रीय संस्था के लिए विशेषकर जब वह जनता के अत्यधिक निकट हो, 'प्रत्यक्ष कर' लगाना आमतौर पर लोकप्रियता की दृष्टि से सम्भव नहीं माना जाता। वास्तव में पंचायत समितियों की भी लगभग यही स्थिति नजर आती है। लोकप्रिय जन प्रतिनिधि अपने मतदाताओं पर 'कर', विशेषतौर पर 'प्रत्यक्ष कर' लगाने से घबराते हैं, किन्तु गत वर्षों के अनुभव से यह प्रकट हो रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कर लगाकर उससे यदि स्थानीय जनता की मूलभूत व अनुभूत जरूरतों को पूरा किया जाता है, तो इससे न केवल लोकप्रियता बढ़ती है, बल्कि समझदार ग्रामीण जनता इन प्रयासों का स्वागत करती है और चुने हुए पदाधिकारियों की स्थिति मजबूत होती है। राज्य की 232 में से 181 पंचायत समितियों ने शिक्षा उपकर लगा कर अपने क्षेत्र के स्कूलों की कमियों को पूरा किया है, और आशा की जाती है कि शिक्षा उपकर निकट भविष्य में सभी समितियों में लगा दिया जाएगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल में यही भावना थी कि ग्रामीण जनता अपनी अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी बाहरी एजेन्सी के मुंह की ओर न देखकर स्वयं अपनी शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास करना सीखे और जनसहयोग के माध्यम से उन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं आगे आए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आरम्भिक वर्षों में जनता की ओर से श्रम, सामग्री व नकदी के रूप में काफी मात्रा में जन सहयोग उपलब्ध भी हुआ पर भारत जैसे लाखों गांवों वाले देश में निर्माण प्रवृत्तियों को निरन्तर चालू रखने के लिए इन प्रयत्नों को संस्थात्मक रूप दिया जाना अनिवार्य था। पंचायती राज व्यवस्था इसी दिशा की ओर एक कदम थी और वह जनता की अपनी संस्था के रूप में विकसित हुई।

राजस्थान की 232 पंचायत समितियों में से मार्च, 1971 तक 201 पंचायत समितियों ने अपने क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के कर लगाए हैं और इन करों से उन्हें 1969-70 में लगभग 46.76 लाख तथा 1970-71 में

49.19 लाख रुपए की आय हुई है, जबकि 1968-69 में करों से केवल 38.54 लाख रुपयों की आय हुई थी।

राजस्थान की पंचायत समितियों के इन प्रयत्नों की ओर दृष्टिपात करने से प्रकट है कि 86 से अधिक ऐसी पंचायत समितियां हैं जिन्हें प्रतिवर्ष करों द्वारा 20 हजार रुपयों से अधिक की आय होती है। गंगानगर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति को 1968-69 में करों द्वारा औसत 93,000 रुपए से भी अधिक की आय हुई जबकि सवाई माधोपुर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति की औसत आय 40,000 रुपए से भी अधिक थी।

वास्तव में पंचायती राज का रूप निर्धारित करते समय स्वर्गीय बलवन्तराय मेहता के सामने पंचायती राज संस्थाओं की जो तस्वीर रही होगी वह निश्चित रूप से गांवों में स्वतन्त्र, स्वावलम्बी व स्वायत्त प्रजातन्त्रात्मक इकाई के रूप में रही होगी। इसका अर्थ यह है कि ये संस्थाएं स्वयं अपने साधन जुटाने और कार्यक्रम बनाने में सक्षम हों, जबकि साथ ही साथ विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार भी उन्हें यथा-सम्भव सहायता अनुदान व ऋण के रूप में देती रहें।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निजी प्रयत्नों से एकत्र राशि के अतिरिक्त काफी धनराशि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विकास कार्यक्रमों को समिति क्षेत्र में चलाने तथा इन संस्थाओं के अन्य वैज्ञानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए दी जाती है। गत वर्ष 17 करोड़ 49 लाख रुपए से भी अधिक की राशि राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई थी, जिसमें से 11.37 करोड़ रु० शिक्षा कार्यक्रमों, लगभग 1.75 करोड़ रुपए कृषि कार्यक्रमों, 33 लाख रुपए पशुपालन, 35.84 लाख रुपए समाज कल्याण तथा 15.37 लाख रुपए लघु सिंचाई कार्यों के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 3.15 करोड़ रुपए विभिन्न सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए तथा 36.60 लाख रु० गांवों में कुओं के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास विभाग द्वारा हस्तान्तरित किए गए थे।

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से भू-राजस्व का भी एक निश्चित अंश दिया जाता है। 1970-71 में इस मद के अन्तर्गत 84.36 लाख रुपए का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, पंचायतों को 45.62 लाख रुपए सामान्य खर्चों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था थी।

राजस्थान में गत कुछ दिनों से पंचायती राज संस्थाओं पर निष्क्रिय होने और इसके मूल में सरकारी सहायता की मात्रा में कमी का आरोप लगाया जा रहा है। वास्तव में इन दोनो आरोपों को सही रूप में समझने की कोशिश की जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अब भी विकास कार्यों में प्रवृत्त हैं, लेकिन बदलते हुए रूप में। अब पंचायत समितियों का प्रोग्राम कृषि उत्पादन के कार्यक्रम को केन्द्रबिन्दु बनाकर ही बनाया जाता है जो वास्तव में ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं को छू लेता है। यदि यह नहीं होता तो आज जिस "हरित क्रान्ति" के दर्शन हम गांवों में कर रहे हैं क्या वह सम्भव थी? कृषि उत्पादन में जो इस वर्ष अभूतपूर्व प्रगति हुई है और खाद्यान्नों का उत्पादन 76 लाख टन पहुंचने की आशा लगाई जा रही है, क्या उसका श्रेय पंचायती राज संस्थाओं और गांवों में फैली विकास ऐजेन्सी को नहीं मिलना चाहिए?

इसी प्रकार वित्तीय सहायता में और साधनों में भी पहले की अपेक्षा कमी नहीं, कुछ वृद्धि ही हुई है। यह धारणा कि अब पंचायत समितियों को पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, भ्रान्तिमूलक ही है जबकि यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा दी जाने वाली ऋण की राशि में 1967-68 से कमी हुई है। इसका कारण राज्य सरकार की ऋण देने की प्रणाली में परिवर्तन किया जाना ही है। अब अधिकतर ऋण पंचायत समितियों के माध्यम से न दिया जाकर सहकारी बैंकों के माध्यम दिया जाने लगा है। प्रारम्भ से ही पंचायती राज के विधान में सहकारिता को इसका अभिन्न अंग माना गया है और पंचायती राज की इकाइयों को तथा सहकारी संस्थाओं को अलग-अलग इकाइयों के रूप में देखना गलत होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नव निर्माण और "हरित क्रान्ति" के द्वारा खुशहाली प्राप्त करने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक अर्थव्यवस्था की दो मुख्य एजेंसियां हैं पंचायती राज तथा सहकारी संस्थाएं और ये दोनों एक दूसरे की पूरक संस्थाएं है, जिनका नेतृत्व भी मिला-जुला है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से जहां 1960-61 में 5.6 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया था, वहां 1969-70 में 13.85 करोड़ रुपए दिया गया। इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा 1960-61 में 5 लाख रुपए का ऋण दिया गया वहां उसकी तुलना में 1969-70 में 3.78 करोड़ का ऋण दिया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले ऋण की राशि में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है बल्कि माध्यम का अन्तर है। यदि राज्य सरकार ऋण पंचायत समिति के मार्फत ही देती रहती तो रिजर्व बैंक से प्राप्त धन राशि का लाभ नहीं मिलता जो लाभ सहकारी बैंकों के मार्फत ही प्राप्त होता है।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों को भी अनुदान पहले की तरह ही 20 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है ताकि पंचायत अपने कर्मचारीगण व कार्यालय के सामान्य खर्चे को वहन कर सके। जिन पंचायतों में ग्रुप-पंचायत सचिवों की नियुक्ति की गई है उन्हें अंशदान नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रुप-पंचायत सचिवों के वेतन आदि का पूर्ण व्यय राज्य सर-

कार वहन करती है जो अनुदान की मात्रा से कहीं अधिक होता है। पंचायतों को जहां 1961-62 में 27.38 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था वहां 1969-70 में 51.50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया।

इसी प्रकार यह कहना भी संगत न होगा कि पंचायती राज संस्थाएं निष्क्रिय हो गई हैं। कृषि, पशुपालन आदि परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त गत वर्षों में कुछ नए कार्यक्रम भी पंचायत समितियों में शुरू किए गए हैं, जिनमें व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम, महिला व बच्चों का संयुक्त कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं। राज्य की 32 पंचायत समितियों में कुछ चुने हुए गांवों में पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन तथा छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में उनका वितरण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की खाने की आदतों में परिवर्तन करना और सब्जियां, मुर्गीपालन व मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर ग्रामवासियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

इसी प्रकार महिला व बच्चों के संयुक्त कार्यक्रम में एक महिला मण्डल और एक बालवाड़ी प्रति वर्ष नई स्थापित की जाती है जिसमें 30 बालकों, 30 गर्भवती माताओं और 2 वर्ष से कम आयु के 20 बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक आहार दिया जाता है।

महिला मण्डल के माध्यम से पोषाहार की शिक्षा राज्य की 70 पंचायत समितियों में चलाई गई है, योजनाकाल में प्रत्येक चुनी हुई पंचायत समिति में 12 महिला मण्डल स्थापित किए जाएंगे। गत वर्ष तक 115 महिला मण्डल तथा 124 युवक मण्डलों की स्थापना की जा चुकी थी।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर रूपक प्रतियोगिता

सामुदायिक विकास विभाग को एक ऐसा उपयुक्त रूपक चाहिए जिसकी विषय वस्तु सामुदायिक विकास और पंचायती राज से सम्बन्धित हो। रूपक में पात्रों का चरित्र चित्रण और कथानक का विकास सावधानी से किया गया हो और इसमें हमारे गांवों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को समेकित और सामुदायिक रूप से हल करने पर जोर दिया गया हो। उदाहरण के तौर पर इसमें दिखाया जा सकता है कि प्रौढ़शिक्षा, सफाई और संचार आदि को उन्नत कृषि से अलग नहीं किया जा सकता, या इसमें बताया जाए कि ग्रामीण जनता की समृद्धि के लिए और ग्रामीण प्रतिभा को शहरों की ओर भागने से रोकने के लिए जितना आवश्यक कृषि उत्पादन है उतने ही आवश्यक लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। रूपक में पोषाहार कार्यक्रम और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रमों की महत्ता दर्शाई जानी चाहिए और भारतीय समाज के कमजोर तबकों की दशा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

रूपक हिन्दी में या किसी भी भारतीय भाषा में लिखा जा सकता है। रूपक ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाया जाएगा, अतः इसकी भाषा और शैली सरल होनी चाहिए। यह 10,000 शब्दों या लगभग 40 पृष्ठों के आकार का होना चाहिए।

इस प्रतियोगिता में सरकारी कर्मचारियों सहित कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। चुने हुए रूपक को 1,000 रु० का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार 1,000 रु० और देकर इस रूपक के कापीराइट को खरीद लेगी।

रचना की तीन प्रतियां निम्न अधिकारी को भेजी जाएं। इनके साथ एक अलग कागज पर निम्न जानकारी भी भेजी जाए :—

रूपक का शीर्षक।

लेखक और प्रकाशक का नाम और पता।

कापीराईट रखनेवाले का नाम और पता।

भाषा।

चुनाव के सम्बन्ध में कृषि मन्त्रालय के सामुदायिक विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और प्रतियोगियों को मान्य होगा।

हस्तलिपि भेजने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 1972 है।

एस० एन० भट्टाचार्य
निदेशक (बुनियादी साहित्य)
सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-1

SIEMENS

जो धरती की प्यास बुझाए
सीमेन्स 'पम्पमास्टर' कहलाए

सारे भारत में सिर्फ़ सीमेन्स ही ऐसी कम्पनी है जिन से पम्पिंग सेट के लिए ज़रूरी सभी यंत्र — पम्प, मोटर, स्टार्टर, स्विचफ़्यूज़ यूनिट तथा उन्हें जोड़ने के लिए ट्रौपोडर केबल भी, एक ही तकनीक से बने हुए मिलते हैं। और यही है — पम्पिंगसेट के भरोसेमन्द कार्य की गारन्टी।

BENSONS/7811 HIN

सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड

• बम्बई • कलकत्ता • मद्रास • नई दिल्ली
• अहमदाबाद • बंगलूर • हैद्राबाद • लखनऊ

बढ़ती जनसंख्या और कृषि विकास

रामकृष्ण

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि विकास का विशेष महत्व है। इसी उद्देश्य से कृषि की वृद्धि पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस ओर सघन कार्य किए जा रहे हैं। ये कार्य हमारे इस संकल्प के प्रतीक हैं कि हम खाद्यान्न में पूरी तरह से आत्म निर्भर होना चाहते हैं और किसी भी रूप में अनाज के मामले में विदेशों के सहारे नहीं रहना चाहते। हर्ष की बात है कि अनाज के उत्पादन में प्रदेश में बड़ी तीव्रता से काम हुआ है और इसमें आशातीत सफलता मिली है। इस कार्य में किसानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं की मेहनत और सूझ-बूझ से खेती की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है।

हरित क्रान्ति

राज्य में हरितक्रान्ति आई है और कृषि कार्यों को नई दिशा मिली है। पिछले तीन-चार वर्षों की अवधि में अनाज के उत्पादन में नया रिकार्ड स्थापित हुआ और गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार-बाजरा आदि सभी फसलों में अच्छी वृद्धि हुई। पिछले दस वर्षों के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि 1960-61 में खाद्य उत्पादन 144 लाख टन था जो पिछले वर्ष बढ़ कर 192 लाख टन पहुंच गया। अर्थात दस वर्षों में 49 लाख टन की वृद्धि हुई जो संतोषजनक है। पिछले 2 वर्षों की वृद्धि ही काफी उत्साहजनक है। 1969-70 में खाद्य उत्पादन 174 लाख 13 हजार टन था जो गत वर्ष 193 लाख 52 हजार टन हुआ। गेहूं का उत्पादन 1969-70 में 64.21 लाख टन था जो 1970-71 में बढ़ कर 75 लाख 41 हजार टन हो गया। इसी प्रकार धान और मक्का में भी क्रमश 3 लाख तथा 6 लाख टन की वृद्धि एक साल के अन्दर हुई। खाद्यान्न के अलावा, तिलहन, गन्ना, आलू में भी बढ़ोत्तरी हुई। कहने का आशय यह है कि कृषि विकास में राज्य सरकार तथा कृषकों के योगदान से पर्याप्त प्रगति दिखाई दी है और यह कोशिश जारी है कि कृषि विकास के काम आगे भी तेजी से सम्पादित होते रहें। चालू वर्ष में असामयिक वर्षा की विभीषका से कृषि उपज को पर्याप्त आघात पहुंचा है और रबी व खरीफ दोनों फसलों में किसानों को क्षति पहुंची है। इसे आगामी रबी के प्रयासों से पूरा करना है।

जनसंख्या वृद्धि

लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इतनी वृद्धि होने के बाद भी लोगों की आमदनी और रहन-सहन में आशातीत विकास हुआ है? और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? सबसे बड़ा और मूल कारण यही है कि राज्य की जनसंख्या भी काफी बढ़ी है और इस वृद्धि ने हमारी सारी प्रगति को ढक दिया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1961 में 7 करोड़ 37 लाख थी जो इस वर्ष 8 करोड़ 83 लाख हो गई है—अर्थात दस-वर्षों की अवधि में इसमें 1 करोड़ 46 लाख की वृद्धि हुई है। वस्तुतः जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यद्यपि क्षेत्रफल के लिहाज से इसका चौथा स्थान है। राज्य का पूर्वी भाग अधिक घना बसा है जिसमें कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत समूह रहता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और छोटी जोतों की संख्या लगभग 85 प्रतिशत है। अतः राज्य का वास्तविक विकास उसी समय सम्भव है जब जनसंख्या के अनुपात से कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष अधिक विकास होता रहे। अन्यथा बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि विकास के लाभ कम कर देगी।

साधनों की उपलब्धि

यह भी मानी हुई बात है कि राज्य में खेती योग्य भूमि में विस्तार की गुंजाइश कम है अतः हमें मौजूदा क्षेत्र में वर्ष में तीन तथा चार फसलें लेनी पड़ेंगी। यह बहुफसली कार्यक्रम कृषि विकास का महत्वपूर्ण अंग है। वैसे भी, कृषि विकास के क्षेत्र में हम सभी साधनों पर बल दे रहे हैं, जैसे उन्नत बीजों का प्रयोग, संतुलित खाद व उर्वरकों का यथासमय उपयोग, सुधरे कृषि-यंत्रों का अपनाना, सिंचाई की व्यवस्था, कीट-नाशक दवाइयों का प्रयोग आदि। इन विकास कार्यों की मंशा यही है कि एक तो वर्तमान जनसंख्या के लिए अन्न मिले और दूसरे बढ़ती हुई आबादी के लिए अन्न की कमी न रहे।

यह बात अवश्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप अनाज की प्रति व्यक्ति खपत को स्थिर बनाए रखने के लिए लगातार चेष्टा करनी पड़ेगी जिसके लिए साधन और परिश्रम का सम्बल बनाए रखना होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनाज की 16 औंस तथा दाल की 1 औंस खपत बनाए रखने हेतु हमें

1973-74 की आबादी के लिए तथा जानवरों को खिलाने, बीज बोने तथा भंडारण में होने वाली हानि आदि कार्यों के अनुसार लगभग 210 लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1973-74 का लक्ष्य 214 लाख टन रखा गया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए इसकी प्राप्ति जरूरी है अन्यथा अनाज के विषय में हम फिर आत्म-निर्भरता के पथ से नीचे गिर जाएंगे। इसी संदर्भ में यह कहना गलत न होगा कि जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना जन-हित का ही कार्य है जिसमें सभी देशवासियों का भरपूर सहयोग आवश्यक है। यदि जनसंख्या वृद्धि का यह सिल-सिला बिना रोक के चलता रहा तो अनाज की समस्या आने वाले समय में सचमुच विकराल बन जाएगी और हमारे सभी विकास कार्यों पर पानी फिर जाएगा। नियोजकों के सामने जनसंख्या वृद्धि की समस्या तो है ही, साथ ही कृषि विकास के कार्यों की भी पूरी योजना है।

असामयिक आपदाएं

कृषि विकास के सभी साधन समय से उपलब्ध किए जाने के अलावा अनेक आवश्यक समस्याओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष राज्य में असमय की वर्षा से रबी की फसल को काफी हानि पहुंची। इसने किसानों की मेहनत पर तुषारापात कर दिया। अतः राज्य में फसल की कटाई और मड़ाई की तक-नीक में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए काफी पूंजी चाहिए ताकि कटाई-मड़ाई के सुधरे यंत्र किसानों के पास मौजूद रहें, टीन की बखारियां सबके पास रहें। इसमें समय लगेगा इसलिए फिलहाल के लिए शासन ने इस वर्ष यह निर्णय किया है कि गांवों में कस्टम सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएं जहां पर किसानों को किराए पर आधु-निक कृषि यंत्र मिल सकें जैसे थ्रेसर, ट्रैक्टर, पम्प सेट आदि। इस वर्ष कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए 35 लाख रुपये की तकाबी का प्रबन्ध किया गया है। लोहे और इस्पात के कोटे में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय शासन से अनुरोध किया गया है।

कृषि विकास के उद्देश्य से इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के कई दल उत्तर प्रदेश की स्थिति का अवलोकन करने आए। वस्तुतः यह राज्य के इतिहास में पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री के प्रयासों से इतने केन्द्रीय दल राज्य में आए। कृषि विकास की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना भी आवश्यक है ताकि नए कार्य कलापों पर जनता का सहयोग कृषकों तथा कर्मचारियों को बल प्रदान करता रहे।

छोटे कृषक

इस समय राज्य के चार जिलों में रायबरेली, फतेहपुर, बदायूं तथा प्रताप-गढ़ में लघु किसान विकास योजना चल रही है जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में पचास हजार छोटे किसानों को जिनके पास 1 हैक्टर से तीन हैक्टर भूमि है, खेती के लिए अधिक साधन प्रदान करना है। अन्य पांच जिलों में भी योजना चलाने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है।

लघु किसान योजना की तरह एक योजना सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर विकास योजना भी है जिसमें एक हैक्टर से कम जोत वाले किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों के आर्थिक लाभ हेतु कार्यक्रम संचालित होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीमान्त किसानों को बहुफसली खेती, पशुपालन तथा दूध उद्योग में सहायता पहुंचाना तथा रोज-गार के अधिक अवसर प्रदान करना है। चौथी योजना काल में राज्य के मथुरा तथा बलिया जिलों में यह योजना संचा-लित की जाएगी। योजना के अन्तर्गत एक जिले के बीस हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। राज्य के तीन जिलों बदायूं, अलीगढ़ तथा गोंडा में बहुफसली कार्यक्रम को एक पाइलट योजना के रूप में चलाने का प्रस्ताव है। यह केन्द्रीय योजना है और कुछ अन्य योजनाओं के लिए भी प्रयास जारी है।

कृषि विकास की दिशा में उर्वरकों के उचित उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इस हेतु मृदा-परीक्षण की दो योजनायें संचालित की जाएंगी। राज्य के प्रत्येक मण्डल में एक-एक मिट्टी परीक्षण सचल वाहन का प्रबन्ध हो रहा है ताकि किसानों को उनके खेत पर ही मिट्टी की जांच करके उर्वरकों की आवश्यक मात्रा के बारे में बताया जा सके। इसके आलावा, मिट्टी परीक्षण तथा प्रदर्शन के दस केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है। ये गोदाम पर्वतीय तथा बुन्देलखण्ड के जिलों तथा मिर्जापुर में चलाए जाएंगे।

कृषि विकास के क्षेत्र में अब अधिक उपज देने वाली फसलों का महत्व पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। इनके प्रसार तथा फसल सुरक्षा पर पूरा बल दिया जाएगा। इसके लिए हर एक विकास खंड पर दवाओं तथा मशीनों का पूरा इन्तजाम है। इस वर्ष साढ़े बहत्तर लाख हैक्टर क्षेत्र में फसल सुरक्षा कार्य का लक्ष्य है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग डेढ़ लाख हैक्टर अधिक है। इस वर्ष महामारी के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का हवाई छिड़काव करने की योजना है जो केन्द्र द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। कृषि यंत्रीकरण की दिशा में इस वर्ष जापान की ओयस्का इन्टर-नेशनल नामक संस्था की मदद से छोटी-छोटी जोतों में यंत्रीकरण लागू करके आधुनिक यंत्रों का प्रसार करने की योजना है। इसमें सोयाबीन तथा धान के उत्पादन पर बल दिया जाएगा।

तिलहन व आलू विकास

कृषि के अन्तर्गत तिलहन, आलू,

शेष पृष्ठ 15 पर]

कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग

कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग ने एक जनवरी, 1972 को छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण सेवाओं से सम्बन्धित एक अन्तरिम प्रतिवेदन भारत सरकार को दिया है। प्रतिवेदन में आयोग ने एक समन्वित कृषि ऋण सेवा का सुझाव दिया है। यह ऋण सेवा कृषि से सम्बन्धित सहायक धन्धों के लिए भी मुहैया की जाएगी। प्रस्तावित कृषि ऋण सेवा में मुख्यतः तीन घटक होंगे—(1) कृषक सेवा समितियां (2) जिला स्तर पर इन समितियों का एक संघ तथा कार्यकारी संगठन और (3) जिले का लीड बैंक जो ऋण सेवाओं को संगठित करने में नेतृत्व करेगा।

समन्वित कृषि ऋण सेवा

समन्वित कृषि ऋण सेवा उन सभी छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को उपलब्ध की जाएगी, जो अपनी तकनीक और उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं। इस सेवा में न सिर्फ विपणन की अवस्था तक खेती की उपज का सारा सिलसिला शामिल है बल्कि गांवों के कारीगरों और शिल्पियों के वे धन्धे भी शामिल हैं जिनसे किसानों को सेवाएं उपलब्ध होती हैं। वास्तव में इस सेवा को ग्रामीण कारीगरी के विकास का काम भी अपने हाथ में लेना होगा क्योंकि इससे वे धन्धे पनप सकेंगे जिनसे किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। प्रस्तावित कृषि ऋण सेवा को पशुपालन के लिए आवश्यक ऋण, आदान तथा अन्य सेवाओं की आवश्यकता की भी देखभाल करनी होगी।

ऋण अभिकरणों की जिम्मेदारी—यदि कृषि में धन लगाने के पुराने तरीकों को बिलकुल छोड़ना है और यदि कृषि ऋण सेवा छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों तक पहुंचानी है तो ऋण अभिकरणों को आदानों की पूर्ति के लिए अभिकरणों के विकास में सीधी दिलचस्पी लेनी होगी और सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि ऋण लेने वाले लोग आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें और उसका समुचित उपयोग कर सकें। इन ऋण अभिकरणों को अपने अपने क्षेत्रों में आदानों की पूर्ति करने वाली समर्थ इकाइयों, कस्टम सेवाओं, गोदामों, परिवहन और विपणन को प्रोत्साहन देना होगा और उनमें धन लगाना होगा।

कृषि ऋण सेवा का ढांचा—प्रस्तावित कृषि ऋण में ये घटक होंगे—(1) किसान सेवा समितियां, (हर तहसील/विकास खण्ड के लिए एक)। इसकी क्षेत्र में उतनी शाखाएं होंगी जितनी क्षेत्र की आवश्यकता के लिए जरूरी हों। (2) जिला स्तर पर इन समितियों का एक संघ और विशिष्ट पण्य वस्तुओं के लिए कार्यकारी जिला संगठन और (3) जिले का लीड बैंक, जो कृषि ऋण सेवा संगठित करने के मामले में नेतृत्व करेगा।

किसान सेवा समिति

किसान सेवा समिति का निर्माण एक पंजीकृत सहकारी समिति के रूप में होगा और उसके ऐसे उपनियम होंगे जिनसे उसकी स्वायत्तता बनी रहेगी और उनका प्रबन्ध कुशलतापूर्वक चलाया जा सकेगा। इसके अलावा, ये छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को समन्वित कृषि ऋण सेवा मुहैया करने में सरकारी दखलन्दाजी से मुक्त होंगी।

हर एक 'किसान सेवा समिति' को सीधे या अन्य अभिकरणों के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों तथा गांव के कारीगरों की विकास सम्बन्धी सभी जरूरतों की देखभाल करनी होगी। हर समिति को एक प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में समझा जाएगा। धन, ब्याज की रियायती दर, प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता और अन्य सभी सुविधाएं, जो सहकारी समितियों को उपलब्ध होती हैं, इन समितियों को भी उपलब्ध होंगी।

सिर्फ वही किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर जो छोटे किसान विकास अभिकरण और सीमान्त किसान और कृषि मजदूर अभिकरणों के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं, किसान सेवा समितियों की सदस्यता के लिए अधिकारी समझे जाएंगे। कृषि समुदाय के दूसरे लोग सेवाओं के लिए सिर्फ उसके सदस्य बन सकते हैं। पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

हर सोसायटी का अधिकार क्षेत्र खण्ड के समकक्ष होगा पर उन क्षेत्रों में जहां सेवाओं की उपलब्धि अपर्याप्त है, इसका अधिकार क्षेत्र तहसील के बराबर हो सकता है। उन क्षेत्रों में जहां काम बहुत बड़े पैमाने पर हो, इसका क्षेत्र घटाकर खण्ड क्षेत्र से भी बहुत कम कर देना होगा। विस्तार सेवाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यकताओं और क्षेत्र के समस्त विकास को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित समिति की सक्षमता के आधार पर काम करने का क्षेत्र निर्धारित करना होगा। समिति को अपनी शाखाएं और डिपो खोलने होंगे जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये शाखाएं और डिपो मालगुजारी मण्डलों में होंगे जिनकी आबादी 10 से 12 हजार तक होगी।

किसान सेवा समितियों का जिला-संघ—जिले में किसान सेवा समितियों की नीतियों के समन्वय और पारस्परिक विचार विमर्श के लिए जिला स्तर पर किसान सेवा समितियों का एक संघ होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर विशिष्ट पण्य वस्तुओं के लिए कार्यकारी जिला संगठन बनाए जाएंगे।

लीडबैंक की भूमिका—हर जिले के लीड बैंक को सेवाओं और आदानों की पूर्ति के साथ-साथ कृषि ऋण व्यवस्था के समन्वय की जिम्मेदारी लेनी होगी।

अन्य अभिकरणों से सम्बन्ध—भूमि विकास बैंक, राज्य कृषि उद्योग निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि संस्थाएं भी किसानों को सेवाएं और उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण मुहैया करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि इन अभिकरणों और ऋण ढांचे के बीच समुचित सम्बन्ध कायम किया जाए।

कृषि विकास बैंक

अन्त में यह जरूरी है कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक के आधार पर भारत का एक कृषि विकास बैंक कायम किया जाए जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित निगम तथा कृषि वित्त निगम जैसे विभिन्न अभिकरणों के अनुभव और तकनीक को लेकर एक अकेले नए संगठन का निर्माण कर सकेगा और जनशक्ति और भूमि का पूरा फायदा उठाने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार कृषि ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था कर सकेगा।

प्रशिक्षण और देखभाल

सेवा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को प्रशिक्षित कर्मचारी मुहैया करने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाए। बैंकों द्वारा विशेषज्ञ काम पर लगाए जाएं और कृषि विश्वविद्यालय तथा विस्तार संगठन उन्हें न सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सहायता दें, बल्कि विशेषज्ञों का पता लगाने में भी सहायता दें जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंकों की सहायता कर सकते हैं।

क्षेत्र में किसानों द्वारा सुधरे तरीके अपनाने और आदानों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त देखभाल की व्यवस्था की जाए ताकि ऋण छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को प्राप्त हो सके और जिससे उनकी आमदनी का स्तर बढ़ सके।

कार्यक्रम

खण्ड या तहसील स्तर पर किसान सेवा समितियों का निर्माण और इन समितियों के जिला संघ का निर्माण, तथा लीड बैंक और अन्य संस्थाओं से उनके सम्बन्धों का पहले चालीस छोटे किसान विकास अभिकरण जिलों में और इकतालीस सीमान्त किसान कृषि मजदूर जिलों में परीक्षण किया जाए। इन इक्यासी जिलों में प्रबन्धों के कार्य का सावधानी से अध्ययन किए जाए। तब फिर इन जिलों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन प्रबन्धों को प्रतिवर्ष और अधिक जिलों में जल्दी से जल्दी फैलाया जाए।

✧●✧

बढ़ती जनसंख्या और कृषि विकास

[पृष्ठ 13 का शेषांश]

कपास, जूट तथा फल की खेती भी सम्मिलित है जिनके विकास पर भी सतत ध्यान दिया जा रहा है। तिलहन में मूंगफली, लाही, सरसों, तिल तथा अलसी के अलावा सोयाबीन तथा सूरजमुखी के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूरजमुखी ने रूस व हंगरी में तेल की दिशा में नई क्रान्ति पैदा कर दी है। इसकी तीन फसलें एक साल में ली जाती हैं और इसमें तेल का प्रतिशत इतना अधिक यानी 40 से 47 प्रतिशत होता है कि वनस्पति तेल उद्योग में एक क्रान्ति आ जाएगी। कृषि किभाग सूरजमुखी तथा सोयाबीन पैदा करने की दिशा में विशेष तत्परता से काम करेगा। प्रदेश में आलू का अच्छा उत्पादन हो रहा है और राज्य से आलू बाहर भी भेजा जाने लगा है। आलू के स्वस्थ व उन्नत बीजों को उगाने हेतु राज्य में 10 बीज संवर्धन केन्द्र हैं जिनमें से 6 पहाड़ी व 4 मैदानी भाग में है। राज्य में आलू के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं है जिनकी संख्या 350 से ऊपर हैं। चौथी योजना के अन्त तक निजी एवं सहकारी क्षेत्र में करीब साढ़े पांच सौ कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे जिनकी क्षमता 8 लाख टन होगी। फल और सब्जी के विकास हेतु भी सघन कार्य किया जाएगा तथा बस्ती ब गोरखपुर में केले की खेती तथा मेरठ, आगरा व बुलन्द शहर में अंगूर व पपीते की खेती की विशेष योजना चलाई जा रही है। इस वर्ष अंगूर से किशमिश बनाने की एक अग्रगामी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। आम उत्तर प्रदेश का एक मुख्य फल है। उस पर शोध कार्य के लिए एक शोध संस्थान बनाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दो सौ एकड़ भूमि लखनऊ के पास रहमान खेड़ा में दी जाने का निर्णय लिया गया है। यह देश का प्रथम आम शोध केन्द्र होगा।

इस प्रकार कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र किया जाएगा जिसमें सर्वाधिक ध्यान खाद्यान्न के उत्पादन पर होगा। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह यह मांग करती है कि अन्न उत्पादन में भी प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो अन्यथा लोगों का पेट भरना कठिन हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि की गति निरन्तर कम हो क्योंकि उसका सतत बढ़ते रहना राष्ट्रीय समस्याओं में सदैव उलझनें ही उत्पन्न करता रहेगा। यह राष्ट्र के विकास के लिए कदापि हितकर नहीं है।

✧C✧

कृषि उद्योग निगम की सेवाएं

आर० एल० शर्मा

किसानों में कृषि यन्त्रों व उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि उद्योग निगम की स्थापना की। उत्तरप्रदेश में भी लगभग 3 वर्ष हुए कृषि उद्योग निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में है तथा मण्डलीय कार्यालय प्रत्येक मण्डल से मुख्यालय में है। इस निगम के मुख्य कार्य है—विदेशों से मंगाए गए व अपने देश में बने ट्रैक्टर, पावर थ्रेसर, पावर टिलर, बीज बोने की मशीन, ट्रैक्टर से चलनेवाले कृषि यन्त्र जैसे—कल्टीवेटर-डिस्कहैरो-डिस्कप्लो व ट्रोली तथा डनलप गाड़ी, गन्ने व तेल के कोल्ड पम्पिंग सेट आदि का वितरण व निर्माण तथा रासायनिक खादों का उत्पादन व वितरण। इसके अतिरिक्त, कृषि यन्त्रों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए इस निगम ने 15 क्षेत्रीय वर्कशाप भी खोल रखे हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदेश में उन्नतिशील कृषि यन्त्रों की बाढ़ आजाने के कारण 15 वर्कशाप और खोले जा रहे हैं। इस तरह के वर्कशाप आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फरुखाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, फतेहपुर तथा मुरादाबाद में खोले गए हैं।

उत्तरप्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा किसानों को 'हायर पर्चेज योजना' के अन्तर्गत सेवाएं मुहैया की जा रही हैं। ट्रैक्टरों की पूर्ति अभी नकद दामों पर की जाती है। इसके लिए प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र के साथ खातों व जोत बही की प्रमाणित नकल, जिससे यह प्रमाणित हो कि उसके या उसके संयुक्त परिवार में कम से कम 12½ एकड़ भूमि है, देनी होती है। इसके अतिरिक्त, एक हलफनामा भी देना होता है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी या उसके संयुक्त परिवार के पास पिछले 6 वर्षों से कोई ट्रैक्टर नहीं था। 10 रु० फीस व सौ रुपया पेशगी अर्थात 110 रु० का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर कृषि उद्योग निगम उत्तरप्रदेश लखनऊ के नाम भेजना होगा। निगम द्वारा ट्रैक्टर प्रथम आया प्रथम पाया' के आधार पर जिलानुसार दिए जाते हैं।

साधारणतया ट्रैक्टरों को तीन भागों में बांटा गया है, छोटे हार्स पावर के ट्रैक्टर (12 से 25 हार्स पावर) का मूल्य 15000 रु० तक, मध्यम हार्स पावर के ट्रैक्टर (26 से 55 हार्स पावर) 22000 रु० तथा बड़े हार्स पावर (55 से ऊपर) का 26,500 रु० मूल्य है। प्रत्येक ट्रैक्टर की बिना किसी फीस के सर्विस की जाने की व्यवस्था है।

नकद दामों के अलावा निगम किसानों, विशेषकर छोटे व साधनहीन कृषकों को कुछ कृषि यन्त्र जैसे—पावर थ्रेशर आदि 'हायर परचेज योजना' पर उपलब्ध करा रहा है। इस सुविधा से लाभ उठाने के लिए प्रार्थनापत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से मुफ्त मिल जाते हैं।

अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर किसी राजपत्रित (गजटेड अधिकारी) या निगम के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराने होते हैं। इसके साथ ही खसरा व खतौनी या जोतबही की नकल, जिसमें उन प्लाटों का वर्णन हो जिनको वह रहन करना चाहता है, देनी होगी। जमानत में दी जाने वाली भूमि के भूमिधरी लगान या सर्किल रेट्स का 400 गुना तक व सीरदारी लगान या सर्किल रेट्स का 200 गुना तक ऋण मिल सकता है। चूंकि उत्तरप्रदेश में 6¼ एकड़ तक कृषि भूमि लगान से मुक्त कर दी गई है, अतः ऐसे किसानों की भूमि का मूल्य भूमिधरी का तीन हजार रु० प्रति एकड़ व सीरदारी का ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ आंका जाएगा। इस ऋण की वापसी चार वर्षों में छमाही किस्तों में करने की व्यवस्था है। इस प्रकार के ऋण पर सिर्फ 10 रु० प्रति सैकड़ा ब्याज लिया जाता है।

हमारी राज्य सरकार ने उन किसानों के लिए जो बड़े बड़े कृषि यन्त्रों के खरीदने में असमर्थ है, कस्टम सर्विस योजना शुरू की है। इसके अन्तर्गत खेत की जुताई, फसल की मढ़ाई, फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए दवाइयों के छिड़काव व सिंचाई आदि की सेवाएं उचित किराए पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस प्रकार के सेवा केन्द्र आगरा, लखनऊ, उरई, रायबरेली, बदायूं, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रुद्रपुर (नैनीताल), वाराणसी तथा फतहपुर में खोले गए हैं।

इसके अतिरिक्त इस निगम द्वारा सभी प्रकार की रासायनिक खादें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जो कृषक कम से कम तीन मीट्रिक टन उर्वरक खाद निगम से ले सकते हैं उनको कमीशन देने की भी व्यवस्था है। विभिन्न उर्वरकों के नाम हैं—अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सी० ए० एन सल्फेट आफ पोटाश, म्यूरेट आफ पोटाश, एन० पी० कम्पलैक्स, एवं सुपरफास्फेट आदि।

एक खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने गांवों में दो

शेष पृष्ठ 25 पर]

कान्हा बरसाने में आइ जइयो

विनोद 'विभाकर'

वसन्त की मादकता अपने पूरे जोबन पर है। आम्र-मंजरियों की बौरा देने वाली भीनी-भीनी गंध से प्रकृति में चारों ओर एक अजीब-सा सोंधापन फैला है। बहुरंगी पुष्पों और बासन्ती परिधान में सजी वसुन्धरा सभी को अपने राग-रंग में सराबोर किए दे रही है। जिधर देखो, उधर ही खेतों में लहलहाता, वन-उपवनों में हंसता और विटपों में खिलखिलाता फागुन नजर आ रहा है। वन-वन टेसू की अरुणिमा से पुलकित है। होली आ गई। चारों ओर आनन्द-उल्लास का समा बंधने लगा है। सभी उसके रंग में भीगने को बौरा उठे - ढोल-ढफ पर चढ़ा चमड़ा फड़क उठा और झांझ-मंजीरों की खनक के साथ चारों ओर ब्रज में होली के स्वागत में गीत गूंजने लगे :

बिन्दराबन के बीच आज ढफ बाजन लागा रे,
अबीर गुलाल के तम्बू गड़ाए, सखियां लाई रंग।
आप हर भागन लागा रे, ढफ बाजन लागा रे,
बिन्दराबन के बीच आज ढफ बाजन लागा रे॥

वैसे तो होली पर सारा देश ही उसके रंगों की फुहार में डूब जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ब्रज की होली का तो रंग ही निराला है। वहां इस अवसर पर अबीर-गुलाल की जो धूम मचती है और रंगों की जो रिमझिम फुहार पड़ती है, उसके आगे सारे देश में खेली जाने वाली होली के रंग भी फीके पड़ जाते हैं। जो होली के इस रंग को देखता है, वही दंग रह जाता है।

बाजत ताल मृदंग झांझ ढप सप्त सुरन शहनाई।
बरसत अबीर गुलाल कुंकुम रह्यौ सकल ब्रज छाई॥

ब्रज में बरसाने की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए सुदूर प्रान्तों से सैकड़ों नर-नारी हर साल आते हैं। राधा बरसाने की थी और कृष्ण का जन्म नन्दगांव में हुआ था। इसलिए दोनों गांव के स्त्री-पुरुष अभी तक आपस में समधियाने का नाता निभाते हैं और होली खेलना अपना अधिकार समझते हैं। एक लोक गीत में 'लट्ठमार होली' की बानगी लीजिए :

कौन गांव का कुंवर कन्हैया, कौन गांव की गौरी रे।
नन्दगांव को कुंवर कन्हैया, बरसाने की गोरी रे॥
काह हाथ में कृष्ण कन्हैया, काह हाथ में गौरी रे।
ढाल हाथ में कुंवर कन्हैया, लठा हाथ में गोरी रे॥
काह कर रहे ग्वाल बाल सब, काह कर रही गोरी रे।
ढाल रोपि रहे ग्वाल बाल सब, लठा चला रही गोरी रे॥

होली का त्यौहार हमारे देश में उस समय आता है, जब मधुऋतु बसंत अपने चरम उत्कर्ष काल में होता है। इसीलिए इस समय प्रेम की पराकाष्ठा और उन्माद अपने पूरे यौवन पर होता है। ऐसे वातावरण में साधारण स्त्री-पुरुषों की तो बात ही क्या, योगेश्वर कृष्ण तक सब कुछ भूलकर कुंज गलियों में अपनी राधा से होली खेलने के लिए पिचकारी लेकर डोलने लगते हैं। होली अभी आई भी नहीं कि अचानक राधा कहीं दिखाई पड़ गई। कृष्ण कब मानने वाले थे ! राधा को देखते ही मचल गए और होली से पहले ही उस पर रंग फेंकना शुरू कर दिया। इस पर उन दोनों में जो बातचीत होती है, उसकी बानगी लोक-गीत की इन पंक्तियों में लीजिए।

ए कान्हा होली आवन तो दे।

कृष्ण कब चूकने वाले थे ! अपनी मन मोहनेवाली बांकी अदा से कुछ मुस्करा कर उत्तर देते हैं :—

ए ब्रज की मेहरन खेलन तो दे
तत्ता तत्ता पानी रंगों की पुड़िया
ए ब्रज की बाला छोड़न तो दे॥

इस पर राधा अनुनय-विनय करती हुई कहती है :

पै लागूं कर जोरी
श्याम मोसे न खेलो होरी
गैरा चरावन मैं निकली हूं
सास ननद की चोरी
श्याम मोसे न खेलो होरी।

इससे कृष्ण-कान्हा कुछ पसीजते हैं और राधा की बात मान लेते हैं। राधा प्रसन्न होकर चलते हुए उन्हें होली पर रंग खेलने का निमन्त्रण देना नहीं भूलती :

कान्हा बरसाने में आइ जइयो,
बुलाय गई राधा प्यारी।
ओ कान्हा तू गेल न जाने,

पूछत-पूछत आइ जइयो।
वृषभानु की पौरी आइ जइयों,
बुलाय गई राधा प्यारी ।।

और फिर होली भी आगई। कृष्ण राधा की तलाश में बरसाने की तरफ निकल गए। खोजते-खोजते वे अपने ठिकाने पर जा पहुंचे। राधा ने उन्हें आता देखा तो झट से अटारी पर जा चढ़ी। कृष्ण भी कम नहीं थे। नीचे से ही नैनों की पिचकारी फेंकना शुरू कर दिया :

सुन्दर नारी अटा चढ़ गई
गोली मारत नैनन भर कें,
काहे की पिचकारी बनाई तो
काहे की रंग चक भर कें ?
नैनन की पिचकारी मेरे बनाई
औ' सुरमा को रंग चक भर कें
भर पिचकारी मेरे मुख पर मारी
झलका की आव बिगारी ।।

पहले तो नैनों की यह होली दोनों तरफ से बराबर चलती रही। पर कृष्ण को जैसे इसमें पूरा आनन्द नहीं आ रहा था। वह तो राधा को पूरी तरह से रंगों से तर-बतर कर देना चाहते थे। उसे बुलाते हैं, पर बिना शर्त वह आने को तैयार नहीं :

अरे लड़के तेरे संग होली जब खेलूंगी
तू मेरी नौगरी में घुंघरा लगाए
सालू सर रेशमी लहंगा
भला जी मेरी चादर पर उड़े गुलाल।

कृष्ण ने सब कुछ मान लिया और भोली राधा को घेर कर जो होली मचाई उसे देखकर सभी झूम उठे। राधा भी कह उठी :—

कैसी मचा दई होरी रसिया सांवरे ने
रंग भरे लड़ुआ श्याम ले आए,
भर दई राधा की झोरी रसिया सांवरे ने !
कैसी मचाई होरी रसिया सांवरे ने !!
सबरी लाज सरम टो डारी
करी झीना-झोरी रसिया सांवरे ने
लिपट-लिपट ऊपर रंग डारो,
मली कपोलन रोरी रसिया सांवरे ने ।

होली खेलते समय कृष्ण-कान्हा ब्रज में अबीर-गुलाल और रंग की इतनी धूम मचाते हैं कि उसको देखने का लोभ ब्रज की बालाएं भी संवरण नहीं कर पातीं।

ब्रज में हरि खेलत हैं होरी ! भाई ब्रज में.....
धूम मची है चहुं ओरी, भाई धूम मची है चहुं ओरी !
नए मन अबीर, गुलाल उड़त है
भाई ब्रज में हरि खेलत हैं होरी !
भीजि गई राधेश्याम की जोरी।
टेसू रंग चलत चहुं ओरी, मच गई बरसाने की होरी,
राधे माधव की छवि निरखन दौड़ पड़ीं ब्रज की छोरी।
रंग गुलाल आकाश उड़त है,
ब्रज में हरि खेलत हैं होरी !

इस तरह ब्रज में होली की जो धूम मचती है, उसकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं समेटा जा सकता :

ब्रज में आज हरि होरि मचाई
हिल-मिल फाग परस्पर खेलत,
शोभा वरणि न जाई ।।

सुख-समृद्धि की राह पर·····[पृष्ठ 1 का शेषांश]

सकेगा तथा देश के इस सबसे अधिक गरीब तबके की आय बढ़ सकेगी। आज हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता पौष्टिक आहार से वंचित है। यदि देश में दूध-घी की बहुतायत होगी तो जनता के स्वास्थ्य का स्तर भी ऊंचा उठेगा और हमारी सेना को स्वस्थ, सुन्दर और बलिष्ठ जवान मिल सकेंगे। तब कोई शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा।

एक जमाना था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहां दूध-घी की नदियां बहती थीं। यदि इस सुझाव को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अमल में लाया जाए और इसके अमल में अवांछनीय तत्वों को बाधक न बनने दिया जाए तो फिर से इस देश में दूध-घी की नदियां बह सकती हैं। जब समाज में खुशहाली बढ़ेगी तो स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा तथा संस्कृति का स्तर भी ऊपर उठेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा।

उसकी सहेलियां यह रहस्य जानना चाहती हैं

सुनीता जानती है कि पति और बच्चों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है।
वह जानती है सुख का आधार स्वास्थ्य है।

बच्चों के जन्म में अन्तर रखने से :

उसकी सहेलियां उसका अनुसरण करना चाहती हैं

davp 71/344

बम बरसते रहे, रेलें चलती रहीं

रामचन्द्र तिवारी

इतिहास ने जब से आंखें खोली हैं, प्रगति के रथ को परिवहन के पहियों पर चलते देखा है—परिवहन सभ्यता के विकास का प्रतीक बन गया है। परन्तु युद्ध में तो परिवहन ही हार जीत का मानदण्ड होता है। वहां तो गति का सर्वाधिक महत्व है। जो सेना जितनी गति से आक्रमण कर सकती है, उतनी ही तेजी से विजय की ओर बढ़ सकती है। आक्रमण का प्रतिरोध या प्रत्याक्रमण करने में भी गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके समान ही महत्व है, सेना के लिए सैनिकों व सैनिक सामग्री के अनवरत प्रवाह का। परिवहन के इस प्रवाह में रेलों का अपूर्व स्थान है।

भारत में रेलें परिवहन का प्रमुख साधन हैं। शान्तिकाल में 60 प्रतिशत यात्री यातायात तथा करीब 80 प्रतिशत माल यातायात रेलें ढोती हैं। पर युद्धकाल में उनके ऊपर और भी गम्भीर उत्तर-दायित्व आ जाता है। रेलों को देश के जन-जीवन को सुचारु रूप से संचालित करते रहने के लिए आवश्यक सामान तथा सेवाओं को जारी रखना होता है। इसके साथ ही साथ सेना की आवश्यक-ताओं की पूर्ति भी करनी होती है। सामान को आवश्यकतानुसार एक भाग मोर्चे पर सेनाओं को पहुंचाना, सैनिक से दूसरे भाग तक पहुंचाना, उनके कर्त्तव्य का अभिन्न अंग तो होता ही है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है सैनिक दृष्टि से किए जा रहे परिवहन कार्य को गोपनीय रखना।

रेलों ने अब तक जब भी मातृभूमि से रक्षा की पुकार आई है, अपना कार्य बड़ी सावधानी, धैर्य एवं पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। चाहे 1962 का संघर्ष हो चाहे 1965 या 1971 की लड़ाई, रेलकर्मियों ने मुस्तैदी से अपने अपने स्थानों पर काम किया है।

1962 में चीनी आक्रमण के समय जब हमारी सेना घिर गई, सेला कांड के बाद तेजपुर खाली हुआ तो नागरिकों को वहां से रेलों द्वारा निकालना भी जबर्दस्त काम था। रंगपाड़ा नार्थ स्टेशन पर भीड़ का सर्वाधिक दबाव था, उस समय वहां जमे रहने तथा अन्तिम यात्री तक को सुरक्षित भेजने के लिए वहां रेल कर्मचारी जमे रहे थे। इसी उपलक्ष्य में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तत्कालीन सहा-यक परिचालन अधीक्षक श्री निशिकुमार बरुआ तथा चीनी सेना के बढ़ाव की अवस्था में भी रेलवे का 26 लाख रु० बचाने के लिए श्री राखालदास बनर्जी पुरस्कृत तक हुए थे।

1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय रेल कर्मचारियों की भूमिका और भी आकर्षक एवं प्रेरणादायक थी। उस समय पाकिस्तान के बमवर्षक विमानों ने पंजाब के फीरोजपुर, गुरदासपुर तथा दीना नगर स्टेशनों पर और राजस्थान के गदरा रोड़ तथा अन्य कई स्थानों पर बमवर्षा की थी। पाकिस्तान के बर्बर तथा अविवेकपूर्ण हवाई हमलों में 20 रेल कर्मचारियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और करीब 14 कर्मचारी ड्यूटी पर बुरी तरह घायल हुए।

शत्रु के दांत खट्टे करने के उद्देश्य से सभी श्रेणी के रेल कर्मचारी कन्धे से कन्धा भिड़ाकर खड़े हो गए थे। रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलों के प्रधान कार्यालयों में संकटकालीन कार्यालय स्थापित कर दिए गए थे जो चौबीसों घण्टे काम करते रहे ताकि मोर्चों पर लड़ रही हमारी सेनाओं के लिए सैनिक तथा फौजी सामान पर्याप्त मात्रा में समय पर पहुंच सके। सेना को गाड़ियों की जब जितनी जरूरत पड़ी, रेलों ने उतनी गाड़ियां मुहैया कीं। कभी-कभी तो एक दिन में 34 विशेष गाड़ियां तक चलाई गईं। मोर्चों तक भेजी जाने वाली गाड़ियों को डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार से भी अधिक तेज रफ्तार के साथ चलाया गया। बम्बई से पेट्रोल भरी गाड़ी उत्तरी मोर्चे तक 56 घण्टों में पहुंचा दी गई।

रेल कर्मचारियों के बलिदान तथा कर्त्तव्यपरायणता की अनेक घटनाएं उन दिनों हुईं। 13 सितम्बर को गुरुदासपुर के स्टेशनों पर शत्रु के विमानों की भारी बमवर्षा से एक मालगाड़ी को आग लग गई जिसमें डीजल तेल भरा था। इंजन पर काम कर रहे फायरमैन चमन-लाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग लगे उन वैगनों को गाड़ी से अलग कर दिया किन्तु इस दुस्साहसपूर्ण कार्य को करते हुए वह स्वयं आग की लपेट में आ गया। चमनलाल ने डीजल तेल तथा अन्य नागरिकों की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी।

रेल कर्मचारियों की वीरता के अन्य अनेक उदाहरण उस जमाने में सामने आए थे जब दुश्मन की तोपों की गोला-बारी के बीच शत्रु की विमानों की बम-

वर्षा में भी वे अपने स्थानों पर डटे रहे। एक लोको फोरमैन ने शत्रु की बम वर्षा में घायल होते हुए भी इंजन भण्डार तथा तेल गोदाम की आग बुझाई थी। इसी तरह एक इंजन ड्राइवर ने युद्ध क्षेत्र में घायल होने पर भी अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी और उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचा कर ही रहा। शत्रु की गोलाबारी से खराब हुए रेल पथ को उसने हमलों के बीच मिलने वाले समय में बहादुर कर्मचारियों को लगाकर पूरा किया था।

इसी तरह की अनेक प्रेरणा कहानियां स्टेशन मास्टरों, कण्ट्रोलरों, ईंधन निरीक्षकों, पम्प फिटरों तथा पम्प ड्राइवरों ने सत्य सिद्ध करके दिखाईं। पश्चिम रेलवे के एक उत्साही इंजन ड्राइवर ने तो अपनी सामान्य ड्यूटी देने के बाद जूता पालिश की और उससे जमा धन जवानों की सेवा में अर्पित किया।

रेल कर्मचारियों ने जवानों के लिए अन्य नागरिकों की भांति रक्तदान दिया। रक्षाकोष में भी रेल कर्मचारियों ने 52 लाख रु० जमा किए। रेल कर्मचारियों की महिलाओं ने सैनिकों के लिए उपहार तथा नगद धन भी दिया था।

इस दिशा में कुलियों का योगदान भी कम नहीं रहा, जिन्होंने जवानों का सामान बिना मजदूरी लिए ही ढोया।

इसी तरह रेलों ने 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाई। गत 15 दिसम्बर को उन रेल कर्मचारियों की विधवाओं को नकद पुरस्कार दिए गए जो अभी हाल के युद्ध में पाकिस्तान बम-वर्षा में गुरदासपुर और मुकेरियान स्टेशनों पर शहीद हुए।

इस प्रकार कुल मिलाकर रेलों का संघर्ष में बड़ा ही महत्वपूर्ण योग रहा।

आज के हालातों में जहां रेल पर अधिक जिम्मेदारी आ पड़ी है वहां हमारे गांव वालों का भी कर्त्तव्य है कि वे रेलों को शत्रु के एजेण्टों द्वारा तोड़फोड़ से बचाएं। यदि हमारा रेल पथ सुरक्षित रहेगा तो जवानों को मोर्चे पर सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती रहेगी और इससे हमारा युद्ध का मोर्चा दृढ़ रहेगा। दूसरी बात हमको यह भी ध्यान में रखनी होगी कि हम रेलवे की चोरी न करें, बिना टिकट न चलें, जंजीर आदि न खींचें, उनक पुलों की देखभाल करें। इस तरह हमें देश रक्षा के लिए राष्ट्र की इस जीवन रेखा की रक्षा करनी होगी।

धरती का वरदान

सुभाषचन्द्र 'सत्य'

तारों की छाया तले
नदी के तट पर
फूलों की बगिया में
ढूंढना चाहा था।
ठंडक तो मिल गई
कल कल ध्वनि सुनी
सौरभ का ढेर मिला,
पर न मिला—
जिसे खोजने को भटका था।
लौट पड़ा मैं,
पर्वत से गिरती जलधारा,
बहता झरना,
झीलों की चांदी सी चादर
श्वेत, रुपहली मन भावन थी,
कुछ क्षण तो मैं उठा 'ओ'
मस्त हो उठा देखके यह सब
पर पल में महसूस हुआ
वो नहीं जिसे पाने मैं निकला।
दौड़ पड़ा मैं तीव्र गति से,
हांफ रहा था,
देखा सम्मुख
बजी घण्टियां
वहां जुते बैल थे
हरियाली का वो मेला था
पृथ्वी मां के वक्षस्थल पर
बही पसीने की धारा तो
शस्य श्यामला प्रकट हुई थी
ले करके वरदान सुखों का।
अन्तर को सन्तोष मिला,
औ' इष्ट मुझे उपलब्ध हुआ।

म्हैसल गांव के हरिजनों में नया जीवन

अविनाश गोडबोले

दक्षिणी महाराष्ट्र में मिराज नगर से कोई ग्यारह किलोमीटर पर स्थित म्हैसल गांव में पिछले 8-9 वर्षों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग का उद्देश्य हरिजनों में सहकारिता के माध्यम से सुधार लाना और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहां की आबादी 8,400 के लगभग है जिनमें से हरिजनों की संख्या लगभग 1,200 है। हरिजनों के कुल 200 परिवार हैं। यह गांव अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न है, पर हाल तक यहां के हरिजनों की दशा अन्य गांवों के हरिजनों की दशा से अच्छी नहीं थी। इनमें से अधिकतर भूमिहीन कृषि मजदूर थे और जिन इक्के-दुक्के हरिजनों के पास छोटी-मोटी जमीन थी वह साहूकारों और बड़े भूमिपतियों के हाथों हड़पी जा चुकी है। कच्चे और गन्दे झोंपड़ों में रहने वाले इन हरिजनों ने कभी अच्छा जीवन बिताने की नहीं सोची होगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास की कई योजनाएं लागू कीं। पर सदियों से आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण हरिजनों का इन योजनाओं से कोई हित न हो सका और इस प्रकार के जीवन के आदी होने के कारण उन्होंने कभी विरोध भी प्रकट नहीं किया। वे यही मान कर चल रहे थे कि उनके भाग्य में ही ऐसा बदा है।

पर उनके सौभाग्य से निराशा के गहन अन्धकार में आशा की एक किरण चमकी। 1956 में एक निस्वार्थ समाज सेवक श्री मधुकर राव देवाल कई वर्षों का शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने बीवी-बच्चों के साथ फिर से अपने गांव म्हैसल में ही रहने के लिए आ गए। 1962 तक तो उन्होंने अपने खेतों की ओर ही ध्यान दिया। पर, समाज सेवा की भावना ने उन्हें आस-पास देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और हरिजनों के दुखद जीवन को देखा। उन्होंने देखा कि ये लोग औरों के खेतों पर परिश्रम करने के बावजूद अपनी गुजर-बसर के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाते। कई लोग तो सप्ताह में तीन-तीन चार-चार दिन बिना भोजन के काटते थे। इस सबको देख कर उन्होंने इन पददलित लोगों को उठाने का निश्चय कर लिया।

उन्होंने विचार किया कि इस दिशा में पहला कदम सहायक धन्धे उपलब्ध कराने का होना चाहिए। इस समय तक राज्य सरकार ने डेयरी विकास योजना लागू कर दी थी और इसके अन्तर्गत भैंसें खरीदने के लिए ऋण दे दिए गए थे। म्हैसल में एक सहकारी दुग्ध वितरण समिति भी बन गई थी। श्री देवाल ने यह निश्चय किया कि इस योजना का लाभ हरिजनों को भी मिलना चाहिए। काफी प्रयत्नों के बाद वे एक हरिजन श्री आबापिरू कम्बले को सहायक धन्धे के रूप में डेयरी कार्य अपनाने के लिए राजी कर पाए। पर समस्या हल नहीं हो पाई थी। श्री कम्बले की अपनी कोई भूमि न होने के कारण उन्हें सहकारी ऋण न मिल सका। श्री देवाल के बहुत जोर देने पर समिति के पंचों ने श्री कम्बले के ऋण की जमानत दी और श्री कम्बले पहले हरिजन थे जिन्होंने भैंस खरीदी। भैंस खरीद लेना ही काफी नहीं था। श्री कम्बले और यहां तक कि श्री देवाल भी भैंस दुहना नहीं जानते थे। उन्हें शुरू से काम आरम्भ करना पड़ा। किसी तरह वे शीघ्र ही उन प्रारम्भिक कठिनाइयों को पार कर गए।

गांव के अन्य हरिजन इस प्रयोग को केवल देख रहे थे और वे परिणाम के बारे में शंकित भी थे। पर जब श्री कम्बले ने एक वर्ष में ही ऋण वापिस कर दिया और स्वयं भैंस के मालिक बन गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।

इन बातों से लोग बहुत प्रभावित हुए और काफी संख्या में ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए। वे समिति के सदस्य बन गए। अगले वर्ष समिति ने 34,000 रुपये के अनुदान दिए और उससे अगले वर्ष अनुदान की यह राशि 50,000 रुपये हो गई। इस समय 100 से अधिक हरिजन परिवारों के पास एक से चार तक भैंसें हैं और समिति द्वारा दिए गए ऋणों की राशि 5 लाख रुपये तक पहुंच गई है। ज्यादातर लोगों ने ऋण की राशि निर्धारित समय में या उससे भी पहले ही लौटा दी है।

डेयरी कार्य से हरिजनों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन सा गया है। हरिजन पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अब अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। जो पहले भूखे रहने को मजबूर थे, वे अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। लड़कियां भी उच्च शिक्षा लेने लगी है। वे अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर बिरादरी को दो समय खाना खिलाने आदि की पुरानी रस्में जो इनके कर्ज में दबे रहने का मुख्य कारण थीं अब प्रायः समाप्त हो चुकी हैं। बीमियों युवकों और बुजुर्गों ने मेरे सामने श्री देवाल के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। वे उन्हें स्नेह से "दादा" कहकर पुकारते हैं।

भैंसें पालना तो मात्र एक सहायक धन्धा है और जरूरत इस बात की थी कि कृषि जैसा कोई पूर्ण और लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके

अलावा, पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ हरे चारे की समस्या भी बढ़ गई। एक खोज से पता चला कि कोई 5 हैक्टर भूमि हरिजनों के पास थी। 15 हैक्टर भूमि और थी जो 1952 में राज्य सरकार ने हरिजनों को अलाट की थी पर कुछ निहित स्वार्थों की वजह से घपले में पड़ गई तथा अब उसे वापिस लेना भी असम्भव सा था। इसलिए उन्होंने अपनी 5 हैक्टर भूमि पर ही ध्यान दिया और उन्होंने कुछ भूमिपतियों से अपनी जमीन छुड़वाने के लिए प्रयत्न किए और इसके लिए वे कुछ शर्तें लगवाने को भी तैयार थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1 जनवरी, 1969 को श्री विट्ठल संयुक्त सहकारी खेती समिति गठित की गई। समिति ने पहले साल पांच हैक्टर में गेहूं की फसल उगाई और 110 बोरे गेहूं का उत्पादन लिया। इस सफलता से साहूकार बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। एक साहूकार के पास 12 हैक्टर भूमि रहन थी। वह इस भूमि को कम दाम पर और आसान किस्तों पर वापिस देने के लिए तैयार हो गया। उसने सिंचाई की पूरी व्यवस्था सहित भूमि वापिस दे दी। शेष 15 साहूकारों ने भी उसका अनुकरण किया और जमीनें वापिस दे दीं।

अब समिति के पास 36 हैक्टर भूमि है जिसमें से 20 हैक्टर सिंचित है। है। शुरू के सभी 53 परिवार इस समिति के सदस्य हैं। इस काम में समिति को शेतकारी सहकारी चीनी कारखाना से मदद मिलती है। भूमि की सिंचाई के लिए 910 मीटर लम्बी पाइप लाइन कारखाने की ओर से बिछाई गई। इस फसल में समिति ने 10 हैक्टर पर गन्ना बोया है। इसने कपास, गेहूं और अन्य फसलें भी उगाई हैं और अंगूर थोड़ी-थोड़ी जमीन पर बो रखे हैं।

समिति की कार्यप्रणाली काफी दिलचस्प होती है। श्री देवाल ने पिछले दो साल से अपनी पारिवारिक भूमि की पूरी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को सौंप दी है और अपना पूरा समय इसी काम पर लगाते हैं। वे इस बात के प्रति सावधान रहते हैं कि समिति के सारे काम हरिजन स्वयं करें। वे चाहते हैं कि वे लोग आत्मनिर्भर बनें और हर प्रकार से शीघ्र ही अन्य उन्नत जातियों के बराबर पहुंच जाएं। इसी लिए उप-प्रधान से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी हरिजनों में से बनाए गए हैं। उनमें कामों का विभाजन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। हर अधिकारी को एक विशेष काम सौंप दिया गया है। जो लोग खेतों में काम करते हैं उन्हें मेहनताना दिया जाता है और उत्पादन पर सबका अधिकार होता है।

इस प्रकार बहुत अच्छी तरह काम शुरू हो जाने पर भी समिति को अभी तक अपने आधे लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफलता नहीं मिल पाई है। समिति की योजना सभी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए दो कमरे का मकान और पशु बांधने का स्थान मुहैया करने की है। ग्राम पंचायत ने ऐसे सौ मकानों के लिए जमीन दी है। बाद में वर्तमान हरिजन बस्ती के स्थान पर भी ऐसे सौ मकान और बना दिए जाएंगे जिससे यह अन्य स्थानों से कम विकसित नहीं दीखेगा। ऐसा एक मकान 5,500 रुपये की लागत से बनाया जा चुका है।

ऋणों की अदायगी के लिए समिति के पास 90,000 रुपये जमा हो चुके हैं। इस राशि की वापसी के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि चाहिए। समिति खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से एक और परियोजना चलाना चाहती है जिसके अन्तर्गत गोबर गैस प्लाण्ट युक्त आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे। सौभाग्य से इस काम के लिए कुछ शुभचिन्तक लोग आगे आ रहे हैं। क्रिश्चियन एसोसिएशन फार सोशल एक्शन ने गेहूं के 1000 बोरे और सोयाबीन का तेल उपहार में दिया है और ये वस्तुएं लोगों को मेहनताने के रूप में दे दी जाती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मिलने वाली प्रत्येक सहायता का अच्छा और उचित उपयोग किया जाए। यदि अधिक मदद मिलती रही तो ये लोग तेजी से तरक्की कर सकेंगे। उनका विश्वास है कि वे शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अन्य गांवों के अपने भाइयों के लिए तथा अन्य पिछड़ी जाति के लिए सहायक हो सकेंगे।

अपनी सहायता आप करने की भावना पूरे गांव में फैली हुई है। खास तौर पर पिछले कुछ वर्षों में ग्राम पंचायत काफी क्रियाशील रही है। 1958 के बाद यह पहला गांव था जहां सबसे पहले बिजली पहुंची। इसके लिए बिजली के खम्बे लगवाने की कीमत गांववालों ने दी थी। मिराज तालुके के सभी ग्रामों में से ज्यादा बिजली की खपत इस गांव में होती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की दिशा में यह गांव अग्रणी रहा हैं। सिंचाई के मामले में इस गांव ने कृष्णा बांध का पूरा लाभ उठाया है और कुल 7,280 हैक्टर भूमि में से लगभग 2,700 हैक्टर भूमि पर उठाऊ सिंचाई से खेती की जाती है। गांव के सभी 200 कुएं शक्ति चालित हैं। परिवार नियोजन के क्षेत्र में गांव में प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे 60 आप्रेशन किए गए हैं। श्रीमती अम्बिकाराजे शिन्दे की अध्यक्षता में वर्तमान ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गांववालों के जीवन को सुधारने में प्रयत्नशील हैं। सड़कें बनाई जा रही हैं और गटर पाइप बिछाए जा रहे हैं। 4-5 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं और अर्धवृत्ताकार टाइल की पाईपों से 14,000 मीटर लम्बे खुले गटर पाईप बिछकर तैयार होने वाले हैं। अच्छे शौचालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हाईस्कूल तक पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल की एक अच्छी सुन्दर इमारत है जो गांववालों ने अपने सहयोग और सहायता से बनवाई है। सेवा समिति के 1,150 से अधिक सदस्य हैं। यह समिति उर्वरक, बीज और कीटनाशक आदि वितरित करने का काम करती है। समिति और ग्राम पंचायत की अपनी इमारतें हैं।

नैगवां पंचायत प्रगति के पथ पर

अम्बिका प्रसाद मिश्र

गांधी जी ने एक आदर्श गांव की मुख्य-मुख्य ..! खूबियों को आवश्यक बताया था। उनका कहना था कि आदर्श गांव में बिल्कुल नीरोगता होनी चाहिए, उसके घरों में प्रकाश और वायु का पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। इस गांव की जरूरतें ऐसी हों कि 5 मील के अन्दर मिलने वाली चीजों से पूरी हो सकती हो, हर मकान के आस-पास या बीच में इतनी जगह या आंगन हो कि उसमें गृहस्थ अपने पशुओं की सफाई से बांध सके और अपने जरूरत भर की थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह पैदा कर सके। गांव की गली और रास्ते बिना धूल व कीचड़ के साफ हों और पानी के लिए पर्याप्त कुएं हों। गांव में पूजा व सबके इकट्ठे होने के लिए मन्दिर अथवा मस्जिद एवं सार्वजनिक स्थान हों। गांव में ही ग्रामीण उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध हो। पाठशाला भवन हो जहां बच्चे भलीभांति शिक्षा पा सकें। वहां के लड़ाई झगड़ों को निबटाने के लिए एक पंचायत हो।

गांव की जरूरत भर का अनाज, फल भाजी व खादी वगैरह पैदा की जाती हो और साथ ही गांव में अपनी गोचर भूमि और सहकारी ढंग की गौशाला हो।

ग्रामीण जनता को स्वशासन प्रदान करना और गांव का सर्वांगीण विकास करना पंचायतीराज का मूल उद्देश्य है। वैदिक काल से आज तक पंचायतों की परम्परा हमारे देश में किसी न किसी रूप में बनी चली आ रही है। पर उसका स्वरूप समय के साथ बदलता जा रहा है। वैदिक काल में उसे 'जनपद', महाभारत काल में 'ग्राम संघ' और जातक ग्रन्थों में 'ग्राम सभा' नाम दिया गया है। उन दिनों यह संस्थाएं व्यापक अधिकार रखती थीं परन्तु शनैः शनैः उनका पतन होता गया। अंग्रेजों के शासन काल में तो यह मृतप्राय ही हो गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ग्राम शासन का ढांचा बहुत ही जर्जर अवस्था में था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि ग्रामों के विकास के लिए एक ऐसी संस्था हो जिसे ग्रामवासी अपनी संस्था कह सकें। सामुदायिक विकास कार्यों की सफलता के लिए भी पंचायतों का सहयोग अनिवार्य समझा गया। श्री बलवन्तराय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना हेतु तीन स्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद की स्थापना और उन्हें एक दूसरे से पूर्ण सम्बद्ध करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार लगभग सभी राज्यों में धीरे-धीरे कानून पास किए गए और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में इनकी प्रगति विशेष सराहनीय रही। इस समय समस्त देश में पंचायती राज का एक ही सा स्वरूप पाया जाता है और लगभग 95 प्रतिशत गांव इसके अन्तर्गत आ चुके हैं। मैं जिला फरुखाबाद तहसील कायमगंज विकास खण्ड शमसाबाद की ऐसी ही ग्राम पंचायत नैगवां के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताऊंगा कि पूज्य गांधी के स्वप्नों को सही रूप से साकार करने वाली जो कल्पना थी, उसको नैगवां ग्राम पंचायत ने पूरा किया है। नैगवां ग्राम के निवासियों ने गत 5-6 वर्षों में जो किया है वह बहुत सराहनीय है।

हमारी हरित क्रांति में वैसे समस्त पंचायतें पूर्ण सहयोग कर रही हैं पर नैगवां ग्राम पंचायत ने किसानों को नए-नए वैज्ञानिक साधनों का लाभ देकर उन्हें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के कई ठोस उपाय किए हैं। इस ग्राम पंचायत ने हरित क्रांति के क्षेत्र में जो विशेष कार्य किए हैं वे ये हैं :—

1. गांव की कृषि योजना बनाकर उसे पूरा करने में परिवारों को मदद देना।
2. कम्पोस्ट खाद बनाना और किसानों को प्रोत्साहित करना।
3. कीटनाशक दवाओं का प्रबन्ध और उसे छिड़काने की व्यवस्था करना।
4. सुधरे कृषि यन्त्रों का प्रबन्ध और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना।
5. हरी खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
6. साग सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देना।
7. वृक्षारोपण के कार्यों को बढ़ावा देना।
8. सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करना।

सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैगवां ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है और ये विशेष उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. सम्पूर्ण ग्राम सभा क्षेत्र की गलियों एवं नालियों का निर्माण जिसकी लम्बाई क्रमशः 2,100 मीटर तथा 3,100 मीटर है।
2. बालकों की प्राइमरी शिक्षा के लिए 1 प्राइमरी पाठशाला तथा एक पंचायत घर का निर्माण।
3. बालिकाओं की शिक्षा भी इस ग्राम सभा में बहुत ही सन्तोषजनक है। पंचायत ने अलग से कन्या विद्यालय भवन का निर्माण किया है जिसका

उद्घाटन जनपद के अतिरिक्त जिला अधिकारी ने दिनांक 10-10-71 को किया।

4. ग्राम पंचायत के अथक परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप ही माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना कर दी गई है।
5. ग्राम सभा नैगवां के उत्तर की ओर एक बहुत बड़ा तालाब है जो वर्षा के मौसम में इतना अधिक भर जाता था कि वहां के निवासी अधिक पानी भर जाने से पार नहीं जा पाते थे। किन्तु इसी वर्ष पंचायत ने तालाब पर एक बड़े पुल का निर्माण किया जिससे ग्रामवासियों को बहुत ही राहत मिली। इस पुल का उद्घाटन भी अतिरिक्त जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10-10-71 को सम्पन्न हुआ।
6. पेय जल की व्यवस्था भी इस ग्राम में सराहनीय है। इस सभा में स्वच्छ जल के 26 कुएं हैं जो पर्याप्त हैं।

गांव की सड़क शमसाबाद कस्बे से मिलती है जिस पर पंचायत की ओर से समय-समय पर श्रमदान का आयोजन होता है और उसे जिला परिषद से पक्की कराने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

गांव में बिजली लगवाने के लिए ग्रामवासी बहुत ही प्रयत्नशील हैं और आशा है 1973-74 के अन्त तक गांव में बिजली लग जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आज तक इस गांव का कोई फौजदारी या दीवानी का मुकद्दमा पंचायत से बाहर नहीं गया।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत का प्रत्येक परिवार सम्मिलित है। सभी के पास अपनी-अपनी पास बुकें हैं।

ग्राम पंचायत के पंचायत मन्त्री श्री ज्ञानचन्द्रजी गंगावार हैं। उन्होंने अपनी लगन, कठोर परिश्रम एवं सुन्दर व्यवहार से ग्राम पंचायतों के कार्यों में चार चांद लगा दिए हैं, वैसे देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि श्री ज्ञानचन्द्र पंचायत मन्त्री के कठोर परिश्रम एवं लगन से ही आज ग्राम पंचायत नैगवां की उपलब्धियां दिखाई देती हैं।

इसकी कार्य प्रणाली इतनी नियमित है कि मासिक बैठकों का नियमानुसार आयोजन होता है और सभी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित किया जाता है।

गांव पंचायत के कागजातों को यदि कोई देखे तो उससे कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पंचायती राज एक्ट में जो भी नियम निर्धारित हैं, उनका पालन नियमित रूप से बड़ी रुचि के साथ श्री ज्ञानचन्द्र पंचायत मन्त्री द्वारा किया जाता है। सभी पचायतों के प्रधान सही रूप में काम करते हैं। ग्राम पंचायत नैगवां में ही लगभग 30 हजार रुपये का निर्माण कार्य अब तक सम्पन्न हो चुका है।

8 ग्राम पंचायतों में अभी तक लगभग 1 लाख रुपये तक का ठोस निर्माण कार्य किया जा चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राइमरी पाठशाला भवन व पंचायत घर का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में खड़ञ्जे लग चुके हैं। प्रत्येक पंचायत में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।

ऐसे कार्यों को देखते हुए इस विश्वास को बल मिलता है कि हमारे प्रदेश की पंचायतें सामुदायिक विकास कार्यों की सम्पूर्ति में ज्यादा से ज्यादा योगदान करके राष्ट्रीय विकास का स्वप्न साकार कर सकती हैं। ●

कृषि उद्योग निगम की सेवाएं..... [पृष्ठ 16 का शेषांश]

हजार ट्रैक्टर सर्विस स्टेशन खोलने का निश्चय किया है जिससे किसानों को कृषि यन्त्रों की मरम्मत आदि की सुविधा घर बैठे ही मिल सके। निगम के अध्यक्ष श्री जी० डी० शुक्ल ने कहा है कि ट्रैक्टरों व टायर के उत्पादन के लिए लखनऊ में शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी राज्य सरकार किसानों, विशेषकर छोटे व साधनहीन किसानों की खुशहाली के लिए जी जान से प्रयत्न कर रही है।

मेरी राय में स्वतन्त्रता का यदि कुछ अर्थ है तो यही है कि भारत के गांवों में रहनेवाली 80 प्रतिशत जनता के जीवन में सुधार लाया जाए तथा उन्हें खुशहाल बनाया जाए। उन्हीं के कल्याण में हमारे देश का कल्याण निहित है और यही कारण है कि उत्तरप्रदेश शासन द्वारा इस ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। ✲

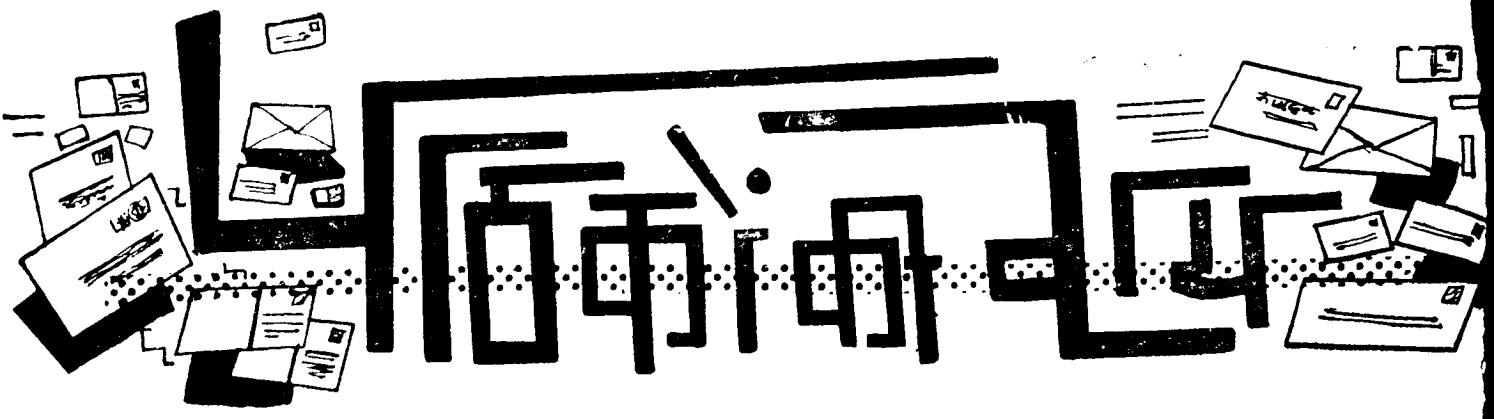

हमारा किसान

ग्रामीण जीवन की सबसे प्रमुख समस्या है कृषक वर्ग की निर्धनता। वे सोचते हैं कि छोटे बड़े सब भगवान के घर से बनकर आते हैं और सम्पत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उनका कहना है कि हमारे धनवानों ने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किए थे उनका आनन्द भोग रहे हैं। हमने कुछ संचा ही नहीं तो भोगें क्या? उनमें एक प्रकार की हीनता की भावना भरी हुई है। किसान सदैव कर्ज के बोझ से दबा रहता है। उसमें सहृदयता अत्यधिक मात्रा में होती है। सम्पत्ति तथा सहृदयता में अत्यधिक विरोध होता है। जो सहृदय होते हैं सम्पत्ति उनसे दूर भागती है। तनिक तनिक सी बातों के लिए वह कर्ज मांगता रहता है। वह इस बात को भी जानता है कि वह कभी भी इस कर्ज को चुका नहीं पाएगा परन्तु समय की आवश्यकता पूर्ति के लिए वह कर्ज लेता है चाहे कम या अधिक। उसे थोड़े या अधिक कर्ज से कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका तो वही हाल होता है जैसा कि "पूजा चाहे कितनी चढ़ानी पड़े, मरे हुए को मन भर लकड़ी से जलाओ या दस मन से उसे क्या चिन्ता।" दहेज प्रथा और अन्ध विश्वास तथा संयुक्त परिवार प्रथा जैसी अनेक समस्याएं उसके सामने आती हैं।

दूसरी प्रमुख समस्या है उनमें संगठन एवं शिक्षा का अभाव। वह अपने सब प्रकार के कर्ज देता जाता है परन्तु इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता कि उसने कर्ज चुका दिया है। इसका एकमात्र कारण उसकी अशिक्षा है। अशिक्षित होने के कारण उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। वह स्वयं अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। जो कोई उसे कुछ भी सलाह देता है उसे मान लेता है। मूलधन से चौगुना ब्याज चुकाना पड़ता है। 30 से 300 हो जाते हैं।

जातीय पंचायतें भी होती हैं। जहां पांच पंच इकट्ठे हो जाएं वहीं पंचायत नहीं होती। पंचायत में बिरादरी के लोगों की सभा होती है। पंचायत के निर्णय को चाहे वह ठीक हो या गलत सिर झुकाकर मान लेता है। वह गलत निर्णय होने पर विद्रोह नहीं कर पाता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है।

भारतीय किसान युग युग से सामन्तवादी पद्धति का शिकार रहा है। उसके मानसिक संस्कार इसी ढांचे में ढले हैं। अपनी दयनीय दशा से उसे दुख तो होता है परन्तु इसे भगवान की मर्जी या भाग्य की बात समझकर वह असन्तुष्ट या विद्रोही नहीं होता। अपने मालिकों की खुशामद करने और कृपापात्र बनने में अपना भला समझता है। जन्म जन्मान्तर वाद, कर्मवाद और भाग्यवाद पर उसकी गहरी आस्था होती है।

वैसे वह पक्का स्वार्थी होता है इसमें सन्देह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस रहता है। ब्याज की एक-एक पाई छुड़ाने के लिए महाजन से घण्टों चिरौरी करता है। उसके सम्पूर्ण जीवन का प्रकृति से स्थायी सहयोग है। ग्रामीण छल कपट करना नहीं जानता। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता है। किसानों में क्षुद्र दुर्बलताएं तथा उच्च संस्कारों की मानवीय सबलताएं एक साथ पाई जाती हैं। किसान का जीवन सम्मान तथा आदर भाव का जीवन है। वह अपने को दूसरों से विशिष्ट समझकर प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आज का ग्रामीण धर्मभीरु और समाज बिरादरी भीरु है। वह जातिपांति तथा छुआछूत को ग्रहण किए हुए है। जातिपांति के कारण वह अनेक बन्धनों में बंधा रहता है। असवर्ण विवाह को पाप समझता है। परम्परागत संस्कारों के कारण वह ब्राह्मणों को अपने से विशिष्ट समझता है। सब कुछ सहकर भी परिश्रम पूर्वक कर्म करना उसकी सहज प्रवृत्ति बन चुकी है। अत्यधिक कर्मशीलता कृषक की संस्कारगत प्रवृत्ति है।

कृषक वर्ग इतना निर्धन है कि वह जन्म से ही किसी वस्तु की इच्छा करता है परन्तु मरते समय तक भी उसे प्राप्त

शेष पृष्ठ 28 पर]

समाजवाद की स्थापना में बैंक राष्ट्रीयकरण का महत्व

राधामोहन श्रीवास्तव

देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास का अन्तिम लक्ष्य है समाजवादी समाज की स्थापना। इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 'समाजवादी ढंग के समाज से निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, सबके लिए समान अवसर सुलभ करने, सुविधाहीन वर्गों में उद्यम की भावना बढ़ाने और समाज के समस्त वर्गों में साझेदारी की भावना पैदा करने पर बल दिया जाता है।'

यह कहना सर्वथा पिष्टपेषण मात्र होगा कि बैंकिंग प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद का एक साधन है। राष्ट्रीयकरण एक समाजवादी कार्यवाही है। राष्ट्रीयकरण समाजवाद का पर्याय नहीं है। वस्तुतः राष्ट्रीयकरण सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र है। 19 जुलाई, 1971 को बैंक राष्ट्रीयकरण के दो वर्ष अनेकानेक आशाओं, आकांक्षाओं तथा क्रियाओं प्रतिक्रियाओं अथवा सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक हलचलों के साथ समाप्त हुए। इस अवधि में ग्राम्य वित्त की दिशा में हुई प्रगति, बैंक राष्ट्रीयकरण के तत्सम्बन्धी कार्यक्रम व नीतियां समाजवाद के एक साधन के रूप में प्रमाणित हो सके हैं अथवा नहीं आदि विचारणीय प्रश्नों पर सम्यक् प्रकाश डालना अब कदाचित असंगत न होगा।

विस्तार का क्रम

यह कहना कोई गलत बात नहीं कि ग्राम्य अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। 5,67,338 गांवों में देश की लगभग 82 प्रतिशत आबादी बसती है। इसी कारण भारत गांवों का देश कहलाता है। गांधी जी ने कहा था "...मैं कहूंगा कि अगर गांव न रहें तो भारत भी नहीं रहेगा, अगर ऐसा हुआ तो भारत की विशेषता ही जाती रहेगी।" इस ग्रामीण आर्थिक ढांचे को ठोस तथा विकासमान बनाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान गतिविधियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने पर समाजवाद, बैंक राष्ट्रीयकरण व ग्राम्य वित्त एक साथ तीनों ही प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे समक्ष आ जाते हैं। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों का पदार्पण एक अलग दिशा अथवा एक नूतन अध्याय का सूत्रपात है।

यह सत्य है कि बैंक की 70 प्रतिशत शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण वित्त को सामयिक, सरल, सुलभ तथा सुविधानुकूल बनाना है। सरकारी समीक्षा के अनुसार राष्ट्रीयकरण के बाद कुल स्थापित 3256 शाखाओं में से 2857 ग्रामीण अंचलों में स्थापित की गई हैं। प्रतिदिन 5 शाखाएं खोलने का क्रम जारी है। बैंकों के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 के अन्त तक या 1972 के प्रारम्भ तक 1300 नूतन शाखाएं स्थापित हो जाएंगी। इसमें से 1200 शाखाएं ऐसे क्षेत्रों में खोलने का उपक्रम है जहां अभी तक कोई भी बैंक नहीं है।

छोटे किसान

बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य प्रतिनिधि (लीड) बैंकों द्वारा किया जा रहा है। अब तक प्राप्त 125 सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तावों पर अमल किया जाने लगा है। 1971 के अन्त तक 75 सर्वेक्षण और पूर्ण होने की आशा थी इस प्रकार लीड बैंकों का दायित्व पूर्ण करने की दिशा में यह योगदान उत्साहवर्धक है। मार्च, 1969 में नियुक्त "बैंकिंग समिति" दिसम्बर, 1971 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। देखना यह है कि समिति के प्रतिवेदन कहां तक समाजवादी हैं? अब 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबन्धक परिषदों में 7 के स्थान पर 15 सदस्यों के हो जाने से कार्य सुगमता से होने की सम्भावना बढ़ गई है।

ग्रामीणों को बैंक राष्ट्रीयकरण से हुए लाभों का अनुमान सहकारी आंकड़ों से सहज ही हो जाता है। जून, 1969 में ऋण प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या 1,71,880 थी, जो अब बढ़ कर 7,95,745 हो गई है। इन खातों में बकाया रकम जून, 1969 में 38 करोड़ थी जबकि जून 1970 में बढ़ कर 153.4 करोड़ और मार्च 1971 में 198.8 करोड़ हो गई। उपलब्ध सरकारी सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि ऋण लेने वाले कृषकों में 5 एकड़ से कम जमीन वाले लगभग 50 प्रतिशत कृषक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इन बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। इस कथन में अतिशयोक्ति हो सकती है पर वास्तव में बड़े बड़े भूस्वामी ही अधिकांश रूप में ऋण प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे किसानों को ऋण लेने में होने वाली कठिनाइयों के निवारणार्थ कई राज्यों में गतवर्ष से अब तक कुछ कदम उठाए गए हैं। किसानों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु व केरल से 5,000 रुपए तक के ऋण हेतु पंजीयन शुल्क आधी कर दी गई है। अनुसूचित जातियों से कोई फीस नहीं ली जाती। मैसूर व गुजरात में किसानों को शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने 10 एकड़ तक जमीन वाले कृषकों को लघु सिंचाई के लिए 10,000 रुपए तक रेहन पर ऋण लेने के लिए टिकट

शुल्क माफ कर दिया है जबकि हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपए तक रेहन पर ऋण लेने के लिए टिकट शुल्क पूर्णतः माफ कर दिया है। आन्ध्रप्रदेश सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। गुजरात तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने कुओं के विद्युतीकरण, पम्प तथा अन्य सामग्री के लिए ऋण या पेशगी लेने पर टिकट शुल्क माफ कर दिया है।

छोटे किसानों को अपनी भूमि के मुक्त होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कठिनाइयों को दूर करने तथा पट्टों के दाखिल खारिज में सुविधा देने हेतु केन्द्र ने राज्यों से ऐसे मामलों को यथाशीघ्र निपटाने का अनुरोध किया है। सहकारी भूमि विकास बैंक इस प्रकार के 12 वर्ष के प्रमाणपत्र पर विशेष बल देते हैं। कतिपय राज्यों में प्रमाणपत्र प्राप्त करने की फीस घटाकर पूरी अवधि के लिए दो रुपया कर दी गई है जबकि वार्षिक फीस दो रुपया ली जाती रही है। पट्टों के दाखिल खारिज में सुविधा देने के लिए रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

यह सत्य है कि अधिकांश छोटे कृषक या ग्रामीण राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों से वंचित रहे हैं। इस वर्ग की अज्ञानता ही मुख्यतः इसका कारण है इसके अतिरिक्त जनवरी और जून 1971 की अल्पावधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपए की अनियमितताओं की पांच घटनाएं घटित हुई जबकि रिजर्व बैंक समय-समय पर गश्ती पत्र जारी कर बैंकों को जालसाजी के विरुद्ध सतर्क करता रहा तथा कमियों को दूर करने का निर्देश देता रहा है। रिजर्व बैंक के लिए यह जरूरी है कि इस दिशा में वह सख्त कदम उठाएं और अनियमितताओं को रोकें।

गत दो वर्ष पुराने राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों द्वारा आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण, बैंकिंग सेवाओं के नियोजित विस्तार, आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों में सहयोग, ग्राम्य वित्त सुविधा तथा नूतन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का कार्य शनैः शनैः किया जा रहा है। यहां पर "कौटिल्य अर्थशास्त्र" की एक विवेकपूर्ण व दूरदर्शी नीति का उल्लेख करना कदाचित असंगत न होगा, "जो कार्य सम्पन्न हो गया हो उसे प्रमाणित करना चाहिए तथा प्रतिरोधों का निराकरण उत्तरोत्तर करते रहने पर दुष्कर से दुष्कर कार्य सहज बन जाता है।"

1. बैंक राष्ट्रीयकरण को पूर्णतः सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन किया जाए तथा उन्हें समय की मांग के अनुकूल उचित व पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित किया जाए। 2. जमा संग्रह को बढ़ाने के अधिक प्रयास किए जाएं। 3. कृषि, कुटीर व लघु उद्योगों को सामयिक व यथेष्ट ऋण सुलभ किया जाए। 4. निर्यात हेतु ऋण की समुचित सुविधाएं दी जाएं। 5. सहकारी नीतियां यथा समय व जनता की व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए बनाई जाएं। 6. राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्षेत्रीय निगमों में संगठित किया जाए, तथा 7. बैंकों की सेवाओं में परिस्थिति के अनुकूल सुधार तथा परिवर्तन किए जाएं। यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य समय की मांग के अनुकूल व उपयुक्त रूप में होता रहा तो समाजवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होना सुनिश्चित है। ◇

पाठकों की राय.....[पृष्ठ 26 का शेषांश]

नहीं कर पाता। अन्त में उसकी मृत्यु अधिक दयनीय दशा में होती है। उसकी मृत्यु पर श्रद्धा और सहानुभूति की वह पावन भावना जन्म लेती है जिसकी क्षीणधारा का किंचित स्पर्श ही शोषक वर्ग के दानव प्राणियों को मानव पद प्रदान करने की क्षमता रखती है। उसमें व्यवहार कुशलता का अभाव होता है। उनके लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति होता है। उन्हें न भूत का पछतावा होता है और न भविष्य की चिन्ता - जो कुछ सामने आता है उसी में जी जान से लग जाता है। संसार में भय, अन्याय तथा आतंक की दुहाई मची है। अन्धविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है।

कृषक वर्ग इसी अन्याय एवं अन्धविश्वास की छत्रछाया में जन्म लेता है तथा पलता है। इसी कारण वह इनका विद्रोह करने में समर्थ नहीं होता। विद्रोह न करने की स्वाभाविक कमजोरी उसमें आ चुकी है।

आज का ग्रामीण किसान नारी को अब भी घर की चार दीवारी में बन्द करके रखना चाहता है। वह नारी को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के लिए कदापि तैयार नहीं। वह तो नारी शिक्षा को भी उचित नहीं समझता। नारी को जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होने देना चाहता। उसका कहना है कि स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से सर्वथा भिन्न है और स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना सर्वथा एक कलंक है। इस कारण ग्रामीण नारी अत्यधिक अविकसित अवस्था में ही रह गई है।

भारत में अब जमींदार तो नहीं रहे पर बहुत से साहूकार एवं धनी व्यक्ति किसानों के शोषण में संलग्न हैं। वे उन्हें ऋण देते हैं और इतना अधिक ब्याज लेते हैं कि मूलधन चुकाने की तो नौबत ही नहीं आती। सदैव ब्याज ही चुकता रहता है। यहां तक कि घरद्वार भी बिक जाता है परन्तु वह फिर भी ऋण नहीं चुका पाता। ये शोषक लोग चाहते हैं कि किसान सदा ही निर्धन बना रहे ताकि वह छोटे मोटे कार्यों के लिए भी उनका मुंह ताकता रहे। यही कारण है कि ये ग्रामीण किसान, जो शहर को सम्पन्नता प्रदान करते हैं स्वयं अत्यधिक कष्टमय जीवन बिताने के आदी हो गए हैं। ◇

उर्मिल शर्मा

बचत और देश की अर्थनीति

वाई० सी० हैलन

कई वर्षों की आर्थिक शिथिलता के पश्चात् देश में गतिशीलता के चिन्ह नजर आ रहे हैं। पिछले चुनावों से तो व्यक्तियों में नई आशा का उदय हुआ है। यदि आशा पूरी न हुई तो लोगों में लोकतन्त्र के प्रति निराशा पैदा होगी। हमारी अर्थनीति के दो उद्देश्य हैं—एक तो आर्थिक विकास की दर तेज हो और दूसरे सामाजिक न्याय की प्राप्ति। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बचत का विशेष महत्व है। यहां सबसे पहले यह समझना होगा कि बचत से अभिप्राय क्या है? बचत से हमारा अभिप्राय आय के उस भाग से है जिसको हम अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय नहीं करते। अतः बचत दो तथ्यों पर निर्भर करती है—हमारी आय पर और हमारे उपभोग के व्यय पर। यदि आय बढ़ने पर उपभोग समान रहे या आय समान रहने पर उपभोग कम हो जाए तो बचत की दर में वृद्धि हो जाती है। बचत समाज के तीन वर्गों द्वारा की जाती है—परिवारों, कम्पनियों तथा सरकार द्वारा। परिवार तो जैसा अभी बताया, उपभोग के व्यय को आय से कम रखकर करते हैं। कम्पनियां अर्जित लाभ को हिस्सेदारों में न बांट कर बचत करती हैं। सरकारें अपने व्ययों को करों की आय से कम रख कर बचत कर सकती हैं। प्रजातन्त्र में बचत का मुख्य स्रोत परिवार होते हैं। भारत में बचत का 75 प्रतिशत भाग परिवारों द्वारा किया जाता है और बाकी 25 प्रतिशत भाग कम्पनियों तथा सरकार द्वारा।

किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत का वही महत्व है जो व्यक्ति के लिए भोजन का है। भोजन व्यक्ति के शरीर की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। भोजन की कमी से शरीर कमजोर पड़ जाता है और शरीर की विभिन्न क्रियाएं मन्द पड़ जाती हैं। बिल्कुल यही कार्य अर्थ-व्यवस्था में बचत का है। बचत न केवल आर्थिक चक्र को चलाए रखने के लिए आवश्यक है बल्कि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए बचत उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए।

यहां इसको थोड़ा स्पष्ट करना होगा। आपको यह तो पता ही है कि आज के युग में बिना पूंजी के उत्पादन सम्भव नहीं है और उत्पादन की मात्रा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध पूंजी की मात्रा से है। अर्थचक्र को सुचारु रूप से चालू रखने के लिए आवश्यक है कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की जाए। इसके लिए बचत की दर में वृद्धि करना आवश्यक है क्योंकि बचत की दर जितनी अधिक होगी पूंजी निर्माण की दर को भी उतना अधिक बढ़ाया जा सकेगा। यदि देश में बचत नहीं होगी तो पूंजी का आकार गिरता जाएगा और अर्थ-चक्र डगमगा जाएगा।

भारत में आर्थिक विकास के आयोजन को प्रारम्भ करते समय ही बचत के महत्व को स्वीकार कर लिया था और मान लिया गया था कि 1975-76 तक बचत की दर 18.20 प्रतिशत तक हो जाएगी और इस सम्बन्ध में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। 1964-65 तक इस लक्ष्य को आधे से ज्यादा प्राप्त भी कर लिया था जबकि हमारी बचत की दर 1950-51 में 4 प्रतिशत से बढकर 10.7 प्रतिशत हो गई थी। परन्तु उसके बाद से बचत ती दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में बचत की दर 8.8 प्रतिशत थी और अब भी 8 प्रतिशत के लगभग है। 1964-65 से अब तक राष्ट्रीय आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा प्रति व्यक्ति आय 5 से 7 प्रतिशत बढ़ी है परन्तु बचत की दर में 25 प्रतिशत के लगभग गिरावट हुई है। अर्थशास्त्र में सामान्यतया यह माना जाता है कि आय के बढ़ने से बचत की दर बढ़ती है परन्तु यहां तो उल्टा ही हुआ है।

सामाजिक न्याय के साथ तेजी से आर्थिक बिकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक क्रियाओं में भी तेजी लानी होगी। इसके लिए विनियोग की दर में वृद्धि करनी आवश्यक है और विनियोग के साधनों को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत बचत है। यह कहना गलत होगा कि भारतवर्ष एक गरीब देश है और इसलिए बचत की दर को ऊंचा नहीं किया जा सकता। यदि हम इसमें विश्वास करते रहे तो सदा निर्धनता के गर्त में पड़े रहेंगे। फिर हमारे सामने तो इस प्रकार के उदाहरण भी हैं जिनमें गरीब देशों ने अपनी बचत की दर में वृद्धि करके आर्थिक विकास किया है। सोवियत रूस तथा जापान ने बहुत कम विदेशी पूंजी का प्रयोग करके केवल अपनी ही बचत के बूते पर अपना आर्थिक किकास किया है। यदि वह ऐसा

कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।

बचत के संदर्भ में देश की अर्थनीति के तीन उद्देश्य होने चाहिए : बचत को प्रोत्साहित करना, बचत का पूर्ण एकत्रित होना तथा बचत का ठीक प्रकार से उपयोग करना। इन तीनों उद्देश्यों में निकट का सम्बन्ध है। यदि बचत नहीं की जाती तो उसके एकत्रीकरण की व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठता। यदि बचत के एकत्रीकरण की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो उसका कोई लाभ नहीं उठाया जा सकेगा और यदि बचत का उपयोग ठीक नहीं होगा तो लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

बचत करने के लिए आवश्यक है कि आय में वृद्धि हो। हमने मान लिया कि बिना बचत में वृद्धि किए उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं और आय में वृद्धि तभी हो सकती है जबकि उत्पादन बढ़ें। अतः केवल व्यय में कमी करके उत्पादन को बढ़ाना होगा। अतः अर्थनीति को बल देने के लिए कुछ सबल उपायों को अपनाना होगा। इस सम्बन्ध में एक तो ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेकार का व्यय करने से रोकना होगा जिसका असर कम आमदनी वाले लोगों के उपभोग पर भी पड़ेगा। दूसरे, वर्तमान अर्थनीति में जैसे-जैसे व्यक्ति द्वारा बचत बढ़ाई जाती है वैसे-वैसे उस पर करों की छूट कम होती जाती है। बचत के होने के लिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए। वास्तव में बचत के बढ़ने पर कर छूट यदि बढ़े न तो कम भी न हो। अधिक आमदनी वाले लोगों में बचत करने की क्षमता अधिक होती है। उनको यदि प्रेरणा दी जाए तो वे अधिक बचत करने में समर्थ हो सकते हैं। कम आय वालों में तो बचत करने की सामर्थ्य होती ही नहीं। वे कर छूट का लाभ ही किस प्रकार उठा सकते हैं? तीसरे, बचतों का लाभ लोगों को अधिक मिलना चाहिए। वर्तमान लाभ इतना ऊंचा नहीं हैं कि वह व्यक्तियों को बचत करने की ओर प्रेरित करे। यदि वित्त संस्थाएं 12 से 13 प्रतिशत ब्याज लेकर ऋण दे सकती हैं तो क्या बैंक बचत पर 9-10 प्रतिशत ब्याज भी नहीं दे सकते? चौथे, मूल्यों में तीव्र वृद्धि भी बचत को कम करती है। पिछले 5-6 वर्षों में बचत की कमी का एकमात्र कारण मूल्यों में 48 प्रतिशत वृद्धि का होना है।

अर्थनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बचत को एकत्रित करना है। हमारे यहां बचत को एकत्र करने के कई साधन जैसे बैंक, तो दो वर्ष पहले गांवों में कायम नहीं थे। डाकघर यद्यपि अधिकतर गांवों में हैं परन्तु उनकी कार्यप्रणाली असुविधाजनक है। अब जबकि इन दोनों का विस्तार तेजी से हो रहा है, तो ऐसी कार्यप्रणाली कायम की जाए जो सुविधाजनक हो और बचत करनेवालों को पैसा जमा करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। घरों से दूर न जाना पड़े, और कर्मचारी उनके घरों पर आकर बचत का पैसा इकट्ठा कर सकें।

अब बचत का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बचत का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि देश की उत्पादनशीलता में वृद्धि हो तो इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अधिक उत्पादन के कारण लोगों की आय में वृद्धि होगी तथा वे अधिक बचत करने में समर्थ होंगे। इसके विपरीत यदि बचत का पैसा कम उत्पादक कार्यों में लगाया गया तो इससे मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों को बल मिलेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बचत आर्थिक विकास का आधार है। कोई भी देश जो विकास के एक लम्बे मार्ग को अपनाना चाहता है, अधिक समय तक दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता। यदि वह ऐसा करता है तो कुछ समय पश्चात् उसकी विकास क्रिया मन्द पड़ जाती है। अतः हमारा नारा होना चाहिए "बचत बढ़ाओ, गरीबी हटाओ।"

सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी आन्दोलन ही नहीं समझा जाना चाहिए। सच्चे अर्थों में यह जनता का आन्दोलन होना चाहिए। जनता की जरूरतों को समझकर उन्हें आवश्यकतानुसार मदद देनी चाहिए।

सामुदायिक कर्मचारियों पर बेहतर समाज का निर्माण करने का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए और आपदाओं और कष्टों की परवाह नहीं करनी चाहिए।

सरकारी अधिकारी जनता के मालिक नहीं बल्कि नौकर हैं, जो जनता द्वारा प्राप्त करों से अपनी तनख्वाह पाते हैं। रामराज्य क्या है? एक कवि ने कहा था—"राजाराम, प्रजाराम, राम ही राम"। इसी तरह सरकार और जनता तथा अधिकारी सब समान हैं तथा मानवता के सेवक हैं। जनसेवा शुरू करने से पहले यही विचार सामने रखना चाहिए।

विनोबा

नहले पर दहला

श्रीराम शर्मा 'राम'

मुक्तिवाहिनी सेना का युद्ध आरम्भ था। आक्रमणकारी बर्बर शत्रु की फौजें बंगला देश के एक भाग को पूर्णतया विध्वंस करके आगे बढ़ गई तो स्त्री, बच्चों, युवा और वृद्धों से कल्लोलित वह नगर श्मशान के समान धू-धू करके जल उठा था। दिनभर की अशान्ति और क्रूरता के भरे आतंक के कारण वह नगर मानो श्वास रोके तब भी भयभीत बना खड़ा था। शत्रु का वह हृदयहीन ताण्डव नागरिकों को दहला चुका था। इन्सानियत अपना सिर धुन-रही थी और छाती पीट रही थी।

स्पष्ट था कि दो दिन पूर्व उस नगर में उत्साह था। वह अपने बच्चों को छाती से लगाए जैसे किसी बूढ़ी दादी अथवा अम्मा के समान विहंस रहा था किन्तु आक्रान्ता ने जब उस शस्य श्यामला भूमि पर प्रहार किया, तो वह सिसक उठी। उसके बच्चे गाजर मूली की तरह काटे गए। तब उस मां का कलेजा फट फट गया। उस मां की बहुओं और बेटियों का उस स्वेच्छाचारी शत्रु सेना ने शील भंग किया, तो लगा वह समूची धरती अपने आप में लजा गई। बच्चों के टुकड़े हुए, उनका खून बहा, तो उस चण्डिका ने मानो उसी खून से अपना खप्पर भरा और अजात्रशत्रु के समान किलकिलाते हुए पुकारा "आह! मेरे अल्लाह! ऐसा भी होता है, इस धरती पर। इतना भी होता है।" और तब उस धरती मां का बच्चा बच्चा आग का अंगारा बनकर चारों ओर छितरा गया था।

और मानो इसी भावना के अन्तराल में सोया हुआ कोलाहल चीख उठा था "चुप रहो, धर्म का और मनुष्य जाति का मुंह मत काला करो। आमार बंगला·····सोनार बंगला ··इस धरती का नारा है, यहां पर बहती नदियों का कलकल निनाद है, उसे जीने दो। अविराम बहने दो। उसे अमर होने दो। मरने दो कटने दो मेरे बच्चों को। इन्हें अमरत्व प्राप्त हो रहा है। इस पुनीत धारा को मोड़ मत दो।"

फलस्वरूप अन्य नगरों के समान, वह नगर भी अब रो रहा था। सिसक रहा था। इन्सान की लाशों से उसका गली कूचा पटा था। जो शेष समाज था, वह अव्यवस्थित और आतंक से भरा अपनी सांस ले रहा था। युवा वर्ग प्राणों का मोह छोड़ युद्ध रत था। जीवन मृत्यु की पथरीली दीवारें खड़ी थीं। उस अवस्था में कोई रो रहा था, कोई ऊंचे स्वर से चीख रहा था। किसी को अपने पति अथवा पुत्र के मरने की सूचना मिली थी और किसी को बाप अथवा भाई की। जिस नगर की गलियों अथवा मोहल्लों में दिन भर मुक्तिवाहिनी के शहजौर जवामर्दों ने शत्रु से मोर्चा लिया, इसे अब केवल इतना देखना शेष रह गया था कि जो सुबह घर से गया था, अब वह वापिस घर आएगा या नहीं। मानो सिर पर कफन बांधे मतवालों का वह काफिला जीवन मृत्यु की सीमा को पार कर चुका था। दिल में मानव के खून से वहां की धरती रंग गई थी। तोप और बन्दूकों का घोष घरों में बैठी स्त्रियों और बूढ़ों के कान के पर्दे फाड़ रहा था। उस अवस्था में पथरीले मकान भी दहल उठे थे। इसलिए संध्या आते आते वहां मृत्यु सरीखी भयावह नीरवता छाई थी। सांय सांय करती हुई हवा से जब किसी का द्वार खटकता तो मकान के अन्दर बैठे प्राणियों का हृदय पेड़ के पत्ते के समान हिल जाता। मानो कोई भूत आ पिशाच उस द्वार पर आकर किलकिलाता था।

संध्या का अंधेरा आते आते कुत्तों के भोंकने और सियारों के चीखने चिल्लाने का स्वर और अधिक त्रासदायक बना था। इन्सान के मांस के लोथड़ों पर उन कुत्तों का परस्पर लड़ना देखकर जैसे उस नगर का कलेजा फट-फट जा रहा था। स्पष्ट था कि वह पशु समाज उस भोजन को पाकर अपने आप में मुग्ध और आत्म विभोर बना था।

ऐसे ही करुण भयावह और त्रासदायक शाम के झुटपुटे में पसीनों से लथपथ एक वृद्ध हांफता हुआ अपने घर के द्वार पर आया। वह भयभीत दृष्टि से चारों ओर देखकर कांपते हुए स्वर में बोला—'शबनम। अरी ओ, शबनम।'

आवाज सुनते ही वह सुन्दरी और यौवनमयी शबनम द्वार पर आते आते चौंक पड़ी। वह उद्वेग भरे स्वर में बोली—'आ गए ··आ गए तुम! मेरे अल्लाह!' शबनम ने न जाने कब की रुकी हुई सांस छोड़ दी। उसने डबडबाई आंखों से वृद्ध की ओर देखा।

वृद्ध बोला—'गफ्फार आया? अभी नहीं लौटा क्या?'

किन्तु शबनम फूट पड़ी 'अब्बा, खून बह रहा है, तुम्हारे सिर से।'

'हां, बिटिया। मैं गफ्फार मियां को देखने आगे बढ़ गया था। एक गोली आई और सिर को छील गई।'

शबनम ने गले में पड़ा दुपट्टा अब्बा के सिर में बांध दिया। अब्बा को चारपाई पर ले जाकर लिटा दिया।

वृद्ध बोला—'तो नहीं आया, गफ्फार!' और उसने अन्धेरे में सांस छोड़ी—'मेरे अल्लाह। ऐसा कसाई बन

क्या, यह इन्सान। इतना जालिम !'

शबनम बोली—'अब्बाजान, मुझे वे आते नहीं दीखते। कलेजा फटा जा रहा है।'

तब अब्बा बोल नहीं पाया। चुप रह गया। जैसे उसे भी अपनी प्यारी बिटिया का सुहाग धू धू करके किसी चिता के समान जलता हुआ दिखाई दिया। वह स्वयं कांप गया।

'या खुदा !' वृद्ध ने सांस भरी। उसने कातर दृष्टि से काले आसमान की ओर देखा। किन्तु तत्क्षण ही वह अपनी बिटिया के मासूम चेहरे पर बूढ़ी आंखें टिका बैठा। उसे लगा कि वह देर तक नहीं रहेगा। मर जाएगा। अपनी बिटिया के गोरे सलोने मुंह पर दृष्टि टिकाता हुआ बोला—'मैं गफ्फार को दिन भर ढूंढ़ता रहा। मियां अब्दुल ने मुझे बताया कि आज गफ्फार ने अनेक दुश्मनों को मौत की गोद में सुला दिया। लेकिन मैं तो अपने प्यारे दामाद को आदमी की कटी लाशों और खून की कीचड़ में भी देखने से बाज नहीं आया बिटिया।'

वृद्ध ने कांपते हाथों से शबनम का हाथ पकड़ लिया और करुण बनकर कहा—'अब क्या होगा, मेरी बिटिया। ये दरिन्दे तुझे खा जाएंगे। तेरी अस्मत को लूटने के लिए गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे। बड़े नापाक इन्सान हैं वे। हैवान हैं !'

शबनम चीख पड़ी—'अब्बा, वे कुत्ते हैं ! दोजख की आग में जल उठे हैं। वहशी बने हैं।'

'मेरी बिटिया, अब बुढ़ापे में मुझे यह भी देखना पड़ेगा।' वृद्ध रो पड़ा—'मैं मर ही जाता। इस धरती से चला जाता। अपनी फूल सरीखी बच्ची के आंसू तो न देख पाता।'

वृद्ध ने शबनम की ओर मुंह उठाया और उसे भी रोती पाकर अगाध ममता और प्राणों में भरी पीड़ा की कसक लिए फिर बिलखता हुआ बोला—'रो मत, मेरी बच्ची ! खुदा को याद कर।'

शबनम तिलमिलाई—'वह खुदा भी आज बहरा है। हमारी ओर से मुंह फेरे खड़ा है।' इतना कहते ही शबनम अत्यधिक कातर हो उठी। वह अपने अब्बा की छाती पर सिर पटक कर चीख उठी—'मैं मर जाऊंगी, अब्बा। अब इस जिन्दगी को रख कर क्या करूंगी।'

निःसन्देह, बेटी के समान बूढ़ा भी व्याकुल था। उसके भी प्राणों में कोलाहल भरा था। कांपता हुआ हाथ उसने बेटी के रेशम सरीखे सिर के बालों पर रखा और उस सिर को अपनी दोनों बांहों में समेट कर बिलख पड़ा। वह फफककर रोता हुआ बोला—'हाय, मैं अपने प्यारे गफ्फार को नहीं पा सका। लोगों से उसकी बहादुरी की बातें सुन सुनकर खुद जोश पाकर भी उसे ढूंढ़ने में नाकाम रहा। उसके लिए मैं तो जलते हुए मकानों में भी घुसा था, शबनम।'

और तभी जैसे उसकी छाती में फिर घूंसा लगा हो। वह तड़प उठा। बूढ़ा चिल्लाया—'मैं बदनसीब हूं। हाय मैं अब भी जिन्दा हूं। इतना भी दखता हूं। ओह मेरे अल्लाह ! मेरी बिटिया लुट गई। मेरा बुढ़ापा बिगड़ गया।'

किन्तु तब शबनम को जैसे चेत हुआ हो। उसने अब्बा की अवस्था देखी तो कहा—'अब्बाजान, जाने मुझ जैसी कितनी लुट चुकी हैं एक नहीं, हजारों ! मां के बेटे गए। बहिनों के भाई। शौहर तो जाने कितने गए, मुझ सरीखी बदनसीब बीवियों के। वे सब इस देश के लिए और इस धरती के लिए गए। आमीन।'

और तब शबनम के दिल को वह करुण, वीभत्स और दिल दहला देनेवाला दृश्य याद हो आया कि जब उसका पति घर पर आए चार-पांच दुश्मन के सिपाहियों से लड़ा था। बात साफ थी कि वे उसकी शबनम को ले जाना चाहते थे। परन्तु गफ्फार तुरन्त ही घर से तलवार निकाल लाया। वह अपनी बीवी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दो सिपाहियों को घर के आंगन में ही काट चुका था। उनकी लाशों को रौंदता हुआ, वह शेष रह गए लुटेरों से लड़ता हुआ घर के बाहर निकला तो रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। वह क्षणभर में उस घर से दूर हो गया। मानों अपनी बीवी की अस्मत को बचाने के लिए, जब गफ्फार का पुरुषत्व जागा, वह उन बर्बर और नर-पशु बने आक्रान्ताओं से लड़ पड़ा तो तब वह महाकाल बन चुका था। उस समय शबनम चीखी थी, चिल्लाई थी। उसने खुदा की याद की थी। किन्तु वह खुदा तो सो रहा था। वह मसजिद की पथरीली दीवार के समान पत्थर बन गया था। और वे आक्रान्ता, वे इन्सान के खून के प्यासे दरिन्दे उस समय ठहाका मार बैठे थे। उस शबनम को गिद्ध की तरह घूर रहे थे। वे तब निर्लज्ज बनकर कह रहे थे, 'वाह ! क्या नायाब तोहफा है। इस सुन्दरी को हमें जरूर ले जाना है।'

किन्तु मियां गफ्फार ने उन सिपाहियों का मनसूबा पूरा नहीं होने दिया। वह उन्हें धकेल कर घर से बाहर ले गया। उस समय यह संयोग ही था कि बूढ़ा बाप घर पर नहीं था। जब आया, तो तुरन्त अपने दामाद की खोज में निकल गया। वह दिनभर भटकता रहा। नगर के चप्पे चप्पे पर खोजता रहा। उस अवस्था में ही वह स्वयं गोली खा गया। भाग्य की बात थी कि मरा नहीं, बच गया।

चारपाई पर बूढ़े के सिर के सफेद बालों पर शबनम ने हाथ फेरा और चाहा कि उसका अब्बा शान्त बने। उस अवस्था में ही, उसने अपने अतीत को याद किया। मानो जीवन के बहते हुए तेज सैलाब में जिन्दगी का उत्सर्ग, प्यार सभी कुछ खो गया। आह, उसे कितना प्यार करता था, उसका मियां गफ्फार। जैसे अपने प्राणों की परतों में उसे छुपाए बैठा था। और उस दुलहन बनी शबनम ने मानो जीवन में एक बार ही आंख मूंदकर अपने आपको शौहर के समक्ष

अर्पित कर दिया था, वह उसकी दुनिया थी। वह उसका सोहाग था।

उसी समय शबनम ने अपने मन पर झटका सा खाया और दीये की टिम-टिमाती लौ में अपने अब्बा की ओर देखा। उसने आंसुओं से भरी अपनी वे सुरमई आंखें अब्बा के मुंह पर डाल दीं और सिसक उठी। निश्चय उस समय वह अत्यधिक विषम और करुणा से भरी थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि अब उसका क्या होगा। धरती के किस छोर पर वह खड़ी रह पाएगी।

तभी सहसा शबनम चौंक पड़ी। तड़प कर अब्बा भी उठ बैठा। उन दोनों ने देखा कि जोर से द्वार खुला और दो भीमकाय पठान सैनिक हाथ में बन्दूक लिए वहां आए। देखते ही शबनम ने पहचान लिया कि वे प्रातः भी आए थे। वे खूंखार भेड़िये तब भी उसकी ओर देखकर गुर्राए थे। निदान, शबनम भयभीय बनी अब्बा से चिपट गई—"हाय, मेरे अब्बा।"

लेकिन उ ी समय वृद्ध ने बेटी की ओर ध्यान न देकर उन शत्रु सैनिकों को लक्ष्य किया। वह गरजा—'यहां क्यों आए हो ? कौन हो, तुम ?' इतना कहने के साथ ही वह अपनी बन्दूक पकड़ता उन सिपाहियों को युद्ध के लिए ललकारता कि तभी एक सिपाही ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबोचा और जहरीले स्वर में बोला—'बूढ़े कुत्ते ! चीखता है। डांट बताता है।' और उसने गले को जोर का झटका दिया। वृद्ध तड़पा। वह हिचकिचाया। उसका प्राण आंखों में उतर आया। क्षण भर के लिए मछली की तरह छटपटाया और फिर शान्त हो गया।

अपने सफल कृत्य पर सिपाही ठहाका मार बैठा। वह तभी दूर खड़ी शबनम की ओर मुसकराता हुआ आगे बढ़ गया।

साथी बोला—'इस बूढ़े को उठाकर बाहर इंजन में झोंक दो। दिखता है, यह लड़की इसी की है। शक्ल मिलती है।' और वह भी गुर्राता हुआ सहमी हुई शबनम की ओर बढ़ा।

दूसरा बोला—'वह बदमाश जवान नहीं मिला। यहां नहीं आया।'

"अब छोड़ो उस हरामजादे की बात। वह क्या अब इस धरती पर होगा। मर चुका होगा। हमारे किसी साथी की बन्दूक का निशान बन गया होगा।'

'नहीं, मुझे संदेह हैं। वह अभी मरा नहीं। बड़ा जां-बाज था। लड़ाकू था। उसे अपनी इस धरती से बड़ा प्यार था।'

'अजी, मेरे, देखते देखते वह भाग पड़ा था। शायद मेरी गोली खा चुका था।'

अशफाक बोला—'वाह, क्या खुशनुमा चांद का टुकड़ा है।' वह मुसकराया—'अरे, मौलाबक्स, अब गुस्सा छोड़। बोतल निकाल। इस माशूक को देख। आज की रात में इसी घर में जश्न मना। आज का समूचा दिन खून खराबे में बीत गया।' और यह कहते ही वह शबनम की ओर बढ़ा। वह उसे पकड़ना ही चाहता था कि तभी बाहर से धायं धायं करती हुईं दो गोलियां आईं और बारी बारी से उन दोनों भीमकाय लाशों को कटे पेड़ की तरह जमीन पर लिटा बैठीं।

उसी समय शबनम चौंकी। उसकी सहमी आंखें चमक उठीं। उसने मुंह उठाकर देखा कि सामने पसीनों से लथ-पथ साकार गफ्फार खड़ा था। वह मुसकराता हुआ आगे बढ़ आया।

तभी शबनम फफक पड़ी—'हाय, मेरे अब्बा !'

गफ्फार पास पड़ी अब्बा की लाश को देखकर नीचे झुक गया और बोला—'खुदा इन्हें जन्नत दे, शबनम। आज मैंने कम काम नहीं किया। पच्चासों दुश्मनों को मौत के घाट उतार आया। खुद का शुक्र है कि मैं यहां भी समय पर लौट आया।'

शबनम ने अपना मुंह गफ्फार के कन्धे पर रख दिया। उसने रोते हुए कहा—'खुदा सब देखता है। सत्य और ईमान छुपाया नहीं जा सकता।'

और उन दोनों ने नीचे झुककर अपना सिर अब्बा के कदमों पर रख दिया।

दुनिया एक बाजार—लेखक : ताराशंकर बंद्योपाध्याय; अनुवादक : हंसकुमार तिवारी; प्रकाशक : हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-32; पृष्ठ संख्या : 196 ; मूल्य : तीन रुपये।

साराल की हाट जाओगे ? मेरा झुनझुनी रोग ले जाओगे ? भुवनपुर की हाट सचमुच ऐसी ही हाट है जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने सामान का क्रय-विक्रय करते समय बड़ी सतर्कता बरतता है। यहां यह कहावत प्रसिद्ध है कि किसी चीज के दाम वाजिब से एक पाई भी अधिक लेने पर उसके साथ झुनझुनी रोग चला जाता है। यानी उसका पुराना रोग दूसरे व्यक्ति को लग जाता है तथा रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है।

'दुनिया एक बाजार' के लेखक बंगला के ख्याति प्राप्त उपन्यासकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार, रवीन्द्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनके पास कल्पना का अगार भण्डार है। उन्होंने दुनिया को एक बाजार बताकर भुवनपुर में हाट लगाई है जहां हर चीज का मोल भाव होता है। अन्य चीजों के अलावा उस हाट में प्रेम, रूप, लावण्य, ईमान भी बिकते हैं। यह दुनिया छल, कपट, माया, मोह और अज्ञान से भरी हुई है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इस नग्न सत्य को लेखक ने इसमें भलीभांति उजागर किया है।

मालती उपन्यास की प्रमुख पात्र है। पहले बच्ची के रूप में, फिर अपराधिनी के रूप में और अन्त में प्रेमिका के रूप में लेखक ने उसका चित्रण किया है। वह इन तीनों रूपों में चरित्र का भली प्रकार निर्वाह कर अपने कर्त्तव्य में खरी उतरी है। पुरुषों के रूप में दो चरित्र नायक हैं - नोबू और बसन्त। एक सच के रास्ते पर चलने वाला पथिक है दूसरा सच और झूठ दोनों का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करता है।

मूल उपन्यास बंगाली भाषा में लिखा गया है। हिन्दी अनुवाद भाषा की दृष्टि से बड़ा शिथिल है। प्रूफ की अशुद्धियों के अलावा अनुवाद में भाषा की भयंकर भूलें भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। पुस्तक के नाम की तरह मुख पृष्ठ भी बड़ा आकर्षण बन गया है। पाठक कहीं कहीं पर ऊब अवश्य महसूस करता है। पुस्तक में कविता का पुट होने के कारण इसकी रोचकता बढ़ गई है।

लक्ष्मी जैन

प्रकाशन वार्षिकी-1969 ; सम्पादक : शिवनाथ राघव, अनिरुद्ध पाण्डेय ; प्रकाशक : सन्दर्भ भारती, न्यू डी-I, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय क्षेत्र, वाराणसी-5; पृष्ठ संख्या : 197 ; मूल्य : सोलह रुपये।

साहित्य जगत् से सम्बद्ध विद्वानों, छात्रों, एवं जागरुक पाठकों के अध्ययन व मनन को समुचित रूप से आगे बढ़ाने में ग्रन्थ वर्णन तथा ग्रन्थ सूची की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त, ज्ञान का द्रुतगामी विकास एवं विस्तार होने के कारण सन्दर्भ विवरणिका का महत्व बौद्धिक जगत् में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में संस्कृत-हिन्दी-ग्रन्थ विवरणिका का अभाव बहुत खलता रहा है। इस दिशा में कुछ छुट-पुट प्रयत्न भी हुए और उनको पूर्णतया महत्वहीन भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु समुचित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत सन्दर्भ के अभाव में ऐसे अनेक प्रकाशन, मात्र पुस्तक सूची ही बने रह गए।

प्रकाशन वार्षिकी से, जो एक बृहत हिन्दी संस्कृत ग्रन्थ सूची योजना का भाग है, हिन्दी और संस्कृत के सालभर के ज्ञात प्रकाशनों का परिचय, (लेखक, ग्रन्थ नाम सहित) क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होता है। अतः यह प्रयास हिन्दी साहित्य की सृष्टि में एक महत्वपूर्ण योग है।

प्रकाशन वार्षिकी 1969 में 2010 ग्रन्थों का विवरण है। प्रत्येक पुस्तक के लेखक, प्रत्येक लेखक द्वारा लिखी गई कुल पुस्तकें, मूल्य और पृष्ठसंख्या आदि की समुचित जानकारी इस ग्रन्थ में समाहित है। यदि किसी गौरव-ग्रन्थ पर अन्य विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं तो उनका उल्लेख है। प्रकाशन की दिशा में सारे प्रकाशनों का विषयवार विश्लेषण कर उसका कुल प्रकाशन पर प्रतिशत भी वार्षिकी में बताया गया है। इससे जहां एक ओर हिन्दी साहित्य सम्पदा के बहुमुखी विकास का पता चलता है, वहां अछूते अथवा कम ध्यान पाने वाले विषयों का भी ज्ञान होता है।

ग्रन्थ-विवरण का क्षेत्र अति विस्तृत है। इसलिए इस वार्षिकी को प्राप्य सामग्री की सम्पूर्ण सूची नहीं कह सकते। समस्त पुस्तकों को सम्मिलित करना कभी सम्भव भी नहीं होता। यह 'वार्षिकी' सर्वांगपूर्ण एवं स्वतः सम्पूर्ण न होते हुए भी भविष्य में अधिक

शेष पृष्ठ 36 पर]

उत्तर प्रदेश

अल्प बचत

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत योजना के प्रसार के लिए भारत के लगभग 80,009 ब्रांच पोस्ट मास्टरों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार इन अधिकारियों को अपने ब्रांच डाक घर में तीन या पांच वर्षीय सावधिक योजना में जमा धनराशि पर एक प्रतिशत का कमीशन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आय की यथेष्ट वृद्धि की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए यह अनुभव किया गया है कि काफी ग्रामीण क्षेत्रों को लम्बी अवधि की बचत में धन लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

मधुकर धान

राज्य में गोगाघाट, बहराइच स्थित सरकारी कृषि बाढ़ अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों के अनुसार उन इलाकों में जहां धान की भारी पैदावार देने वाली सामान्य किस्में अच्छी पैदावार देने में असफल रही हैं वहां बाढ़ वाले इलाकों में धान की नई किस्म "मधुकर" से प्रति हैक्टर 10 से 15 क्विण्टल पैदावार मिलना सम्भव है।

परीक्षण के दौरान मधुकर किस्म से भारी पैदावार मिली। इससे स्थानीय लोकप्रिय किस्म चकिया-59 के मुकाबले बेहतर पैदावार मिली जबकि खेत में 63 दिन से भी अधिक दिन बाढ़ का पानी भरा रहा। इस किस्म के विषय में दूसरी मजेदार बात यह है कि इससे भयंकर सूखा पड़ने पर भी अच्छी पैदावार मिली जबकि दूसी किस्में पैदावार देने में बिल्कुल असफल रहीं।

इसके दाने मध्यम आकार के होते हैं और चावल देखने में सफेद और खाने में स्वादिष्ट होता है।

दिल्ली

यूरिया छिड़काव

भारतीय कृषि अनुसंधानशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विशेषत: सूखे इलाकों में धान और गेहूं पैदा करने वाले किसानों को एक रुपये की लागत से तीन रुपये मुनाफा कमाने के लाभदायक व्यवसाय का सुझाव दिया है।

उन्होंने फसल में कल्ले फूटने से 15-20 दिन पहले यूरिया के घोल का छिड़काव करने की सिफारिश की है। उस समय पौधे यूरिया के छिड़काव का पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं।

धान की फसल पर यूरिया के घोल (17.8 किलो यूरिया या 8 किलो नाइट्रोजन) का 90 लिटर फी हैक्टर के हिसाब से छिड़काव किया गया। इससे प्रति हैक्टर 300 किलो की अतिरिक्त पैदावार मिली जिससे 130 रुपये मुनाफा मिला।

गेहूं की फसल पर 23.5 प्रतिशत यूरिया के घोल (17 किलो यूरिया या 7.6 किलो नाइट्रोजन) का 74 लिटर प्रति हैक्टर के हिसाब से छिड़काव किया गया। इससे 125 रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अतिरिक्त आमदनी हुई।

मध्य प्रदेश

अफीम का उत्पादन

मन्दसौर जिला यूं तो अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पिछले वर्षों में अनेक सफलताएं प्राप्त कर चुका है, पर इस वर्ष अफीम उत्पादन के क्षेत्र में भी मन्दसौर जिले के युवा कृषक श्री सत्यनारायण गगरानी ने 1 हैक्टर में 125 किलो का अफीम उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

श्री गगरानी का कहना है कि अफीम की खेती के लिए ऐसी भूमि का चयन किया जाना चाहिए जिसमें पूर्व में मोबर खाद डाली गई हो, अफीम बोने से पहले उसमें मक्का बोई गई हो तथा अक्टूबर के अन्त में खेत की ट्रैक्टर द्वारा गहरी जुताई की गई हो।

रोजगार

राज्य के 41 जिलों में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर से रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजक सड़कों का निर्माण तथा निस्तारी तालाबों को गहरा करने का कार्य सम्मिलित है।

इन्दौर संभाग के सभी जिलों में 2,742 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया तथा ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 36 लाख रु० की लागत के कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। भोपाल संभाग के सीहोर, विदिशा तथा होशंगाबाद जिलों में 26 योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सब औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सितम्बर 1971 तक इन जिलों में 1,533 व्यक्तियों को रोजगार

प्रदान किया गया। जबलपुर संभाग के सागर जिले में 8,016 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

रायपुर संभाग के बस्तर जिले में 32 विकास खण्डों में इस कार्यक्रम की प्रगति तीव्र कर दी गई तथा सितम्बर 1971 तक 1.20 लाख रु० व्यय किए गए।

राजस्थान

क्रयविक्रय

अलवर की खेडली मंडी में विधिवत विपणन कार्य आरम्भ हो गया है तथा वहां के किसानों को भी अब इस योजना से लाभ मिलने लगा है।

राज्य की नियमित मंडियों में सितम्बर में लगभग 6 करोड़ रुपये के मूल्य की 5.75 लाख क्विण्टल कृषि उपज का क्रय-विक्रय हुआ। अनुमान के तौर पर इसके फलस्वरूप कृषि उपज के विक्रेताओं को 12.43 लाख रुपयों की शुद्ध बचत हुई जो मंडी नियमन योजना के अभाव में या तो बिचौलियों के हिस्से में चली जाती या उपज की हानि के रूप में गंवा दी जाती। अब मंडी समितियों के पास 53.86 लाख रुपयों की राशि संचित है जिससे वह अपने अपने मंडी यार्डो का पुनरुद्धार या विकास कार्य करने में सक्रिय होंगे।

बाजरे की पैदावार

राजस्थान में दुर्गापुर स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र के बारानी इलाकों में कम नाइट्रोजन वाली रेतीली जमीन में संकर बाजरा की फसल उगाने पर 13.4 क्विण्टल पैदावार मिली। इस फसल में 80 किलो प्रति हैक्टर नाइट्रोजन डाला गया था। इस प्रकार उर्वरक डाले गए खेत से बिना उर्वरक डाले खेत की अपेक्षा लगभग 5.37 रुपये प्रति हैक्टर की शुद्ध आमदनी हुई।

हरियाणा

क्षारीय जमीनों में खेती

केन्द्रीय खार अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय और क्षारीय जमीनों में खेती करना कोई मुश्किल नहीं है। जिप्सम से उपचारित करके इस प्रकार की जमीनों में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है।

प्रति हैक्टर 15 टन के हिसाब से जिप्सम के बारीक चूर्ण द्वारा उपचारित की गई क्षारीय भूमि में धान की खेती करने से 27.66 क्विण्टल पैदावार मिली। इस प्रकार उपचारित भूमि से बिना उपचारित भूमि के मुकाबले 490 रुपये प्रति हैक्टर का अतिरिक्त मुनाफा हुआ।

वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए खेत की सिंचाई करके उसमें ठीक प्रकार से नमी होने पर खेत में जिप्सम का चूर्ण भुरक दें। उसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए।

साहित्य समीक्षा...... [पृष्ठ 34 का शेषांश]

परिपूर्ण ग्रन्थ विवरणिका बनाने का आधार तथा दिशानिर्देश हो सकती है। अतः सन्दर्भ क्षेत्र में इसे एक आवश्यक कड़ी समझा जाना चाहिए।

यदि ग्रन्थकार व्यवसाय से ग्रन्थालयी, ग्रन्थ सूचीकार, और प्रलेख अधिकारी, शोध विषयक सूचीकरण के आचरण के बारे में शोधार्थी, लेखक, विद्यार्थी व जनता की चिन्ता के प्रति सचेत नहीं होते हैं, तो पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचीकरण में शुद्ध संलेख पर बाहर से ही अनेक अधूरे नियमों के थोपे जाने का खतरा रहता है। हो सकता है कि जो ग्रन्थ सूचियां, मात्र आवश्यकता पूर्ति के लिए आवेगमय वातावरण में और अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा कुछ चुने हुए विषयों पर बनाई जाएं, वे सामंजस्यविहीन तथा अपर्याप्त हों, और यह भी हो सकता है कि उनको इस प्रकार संग्रहीत किया जाए जिससे वे अनावश्यक रूप से भार-स्वरूप, आधिकारिता रहित और सन्दिग्ध, यहां तक कि असंगत हो जाएं। इसलिए एक उन्नत स्तर पर सुयोजित सन्दर्भ ग्रन्थ-सूचीयन का प्रयास ही अन्ततोगत्वा प्रगति को सम्भव बना सकता है।

'वार्षिकी' एक सुगठित प्रयास है। निःसन्देह इसीसे यह आशा होती है कि अन्ततोगत्वा 'वार्षिकी' के माध्यम से उपर्युक्त सन्दर्भ ग्रन्थ का आवश्यक विस्तार होगा और जो श्रम इस कार्य में लगाया जा रहा है वह वांछित फल देगा।

'वार्षिकी' को हिन्दी जगत् में ही नहीं, ग्रन्थ व्यवसाय जगत् में भी महती सफलता मिलेगी। 'वार्षिकी' के सम्पादकगण अपने प्रयास के लिए अनेक धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश]

"आपरेशन फ्लड" परियोजना अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी लघु और सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को छांटकर उन्हें अपने दुग्ध उत्पादन, एकत्रीकरण और विपणन के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करके उनकी सूची तैयार कर ले। यह पक्के तौर पर तय हो जाना चाहिए कि एक तिहाई उत्पादक लघु कृषकों में से लिए जाएं और एक तिहाई उत्पादक सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों में से लिए जाएं।

'आपरेशन फ्लड' परियोजना के अन्तर्गत लघु किसान विकास अभिकरण तथा सीमान्त किसान और कृषि मजदूर योजना वाले उन जिलों में भी पशु और भैंसों के विकास तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार की जानी चाहिए जो बड़े-बड़े शहरों की दुग्धशालाओं के पास पड़ते है किन्तु जो अभी तक इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं। "आपरेशन फ्लड परियोजना" को विभिन्न राज्यों में लघु किसान विकास अभिकरण तथा सीमान्त किसान और कृषि मजदूर योजना वाले कुछ उन जिलों में भी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो कार्य के पहले दौर में इस परियोजना में शामिल नहीं किए गए हैं। पशु विकास और दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि संकरण द्वारा देशी गायों की नस्ल सुधारी जाए। इसके लिए जरूरी है कि विदेशों से अच्छी नस्ल के सांड़ मंगाकर किसानों को मुहैया किए जाएं। आपरेशन फ्लड परियोजना में प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ग्यारह लाख छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को शामिल करने की व्यवस्था है। आयोग का विचार है कि ये और भी अधिक संख्या में शामिल किए जाने चाहिए। अतः आयोग की यह सिफारिश है कि इस परियोजना को अतिरिक्त ग्यारह लाख छोटे व सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों द्वारा दुग्ध उत्पादन के इस कार्यक्रम के विस्तार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे परियोजना वाले हर जिले में दुग्ध उत्पादन द्वारा ऐसे अड़तीस हजार कृषि परिवारों को सहायता मिलेगी और इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इस काम के लिए भारत सरकार को आपरेशन फ्लड परियोजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी।

लघु किसान विकास एजेंसी तथा सीमान्त किसान तथा कृषि मजदूर योजना वाले जिलों में राज्य दुग्ध परियोजनाओं को भी हर जिले में कम से कम अड़तीस हजार लघु तथा सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की सहायता करने के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। इस तरह ऐसे लगभग चालीस लाख परिवारों को पांच छः साल तक दुग्ध उत्पादन द्वारा अपना आर्थिक स्तर उन्नत करने के लिए सहायता दी जा सकती है।

छोटे और सीमान्त किसानों को जिन्होंने संकर नस्लों के पशु पैदा किए हैं, सहायता आधी ऋण के रूप में और आधी सबसिडी के रूप में देनी चाहिए। कृषि मजदूरों को यह सहायता दो तिहाई सबसिडी के रूप में और एक तिहाई ऋण के रूप में गाय बछड़े खरीदने और पालने के लिए दी जानी चाहिए। सबसिडी की राशि केन्द्र निर्मित कार्यक्रम के रूप में लगभग एकसौ सात जिलों में लघु तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों द्वारा दुग्धोत्पादन कार्यक्रम के लिए दी जानी चाहिए। सबसिडी की कुल राशि आठ-नौ वर्ष के लिए लगभग दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये होगी।

ग्राम-स्तर पर दुग्ध-उत्पादन, संग्रहण और विपणन के सम्बन्ध में कार्यकारी सहकारी व्यवस्था को ठीक समझा जा रहा है। गांवों में दूध के सभी उत्पादक और पूर्तिकर्त्ता प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य होंगे। ये प्राथमिक सहकारी समितियां जिला स्तर पर कार्यकारी सहकारी संगठन से सम्बद्ध होंगी। जैसा कि कमीशन के अन्तरिम प्रतिवेदन में सुझाव है, तहसील तथा खण्ड स्तर पर किसानों की सेवा समितियां प्राथमिक ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के लिए दुधारू पशुओं की खरीद के लिए, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण मुहैया करने की जिम्मेदारी लेंगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि ऋण मुहैया और वसूल करने के सम्बन्ध में इन तीनों अभिकरणों के बीच निकट संगठनात्मक और कार्यात्मक सम्बन्ध होना चाहिए।

शेष आवरण पृष्ठ 4 पर]

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, सदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D -28

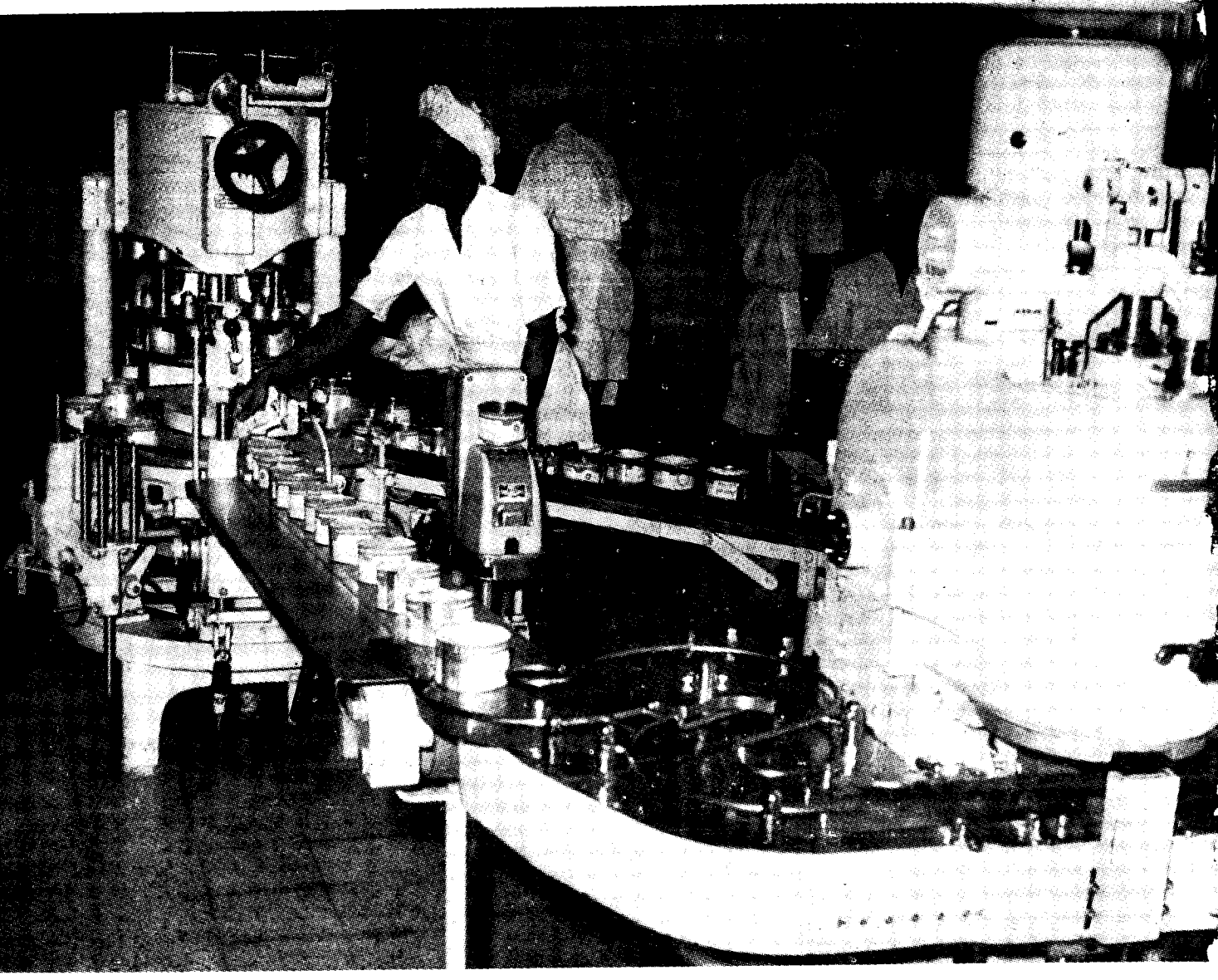

लघु तथा सीमान्त किसानों और किसान मजदूरों के दुधारू पशुओं की बीमा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें, परियोजना अधिकारी, ऋण संस्थाएं और बीमा अभिकरण ऋण के ब्याज के ढांचे के साथ बीमा की किश्तों को समन्वित करने के तौर-तरीकों पर विचार करें जिससे बीमा की किश्तों और ऋणों के ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में इन किसानों का भार कुछ कम हो सके।

दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम की सफलता के लिए यह जरूरी है कि दुग्ध पशुपालन विस्तार संगठन को पर्याप्त धन मुहैया करके इसे दृढ़ किया जाए, जिससे चारा उत्पादन बढ़ाने, इसके संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की सुचारु व्यवस्था बने।

पैर और मुंह की बीमारियों के टीकों का देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाए और इसके उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाए। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ यह जरूरी है कि तपेदिक आदि बीमारियों के पता लगाने के लिए समय-समय पर पशुओं की देखभाल की जाए और जहां कहीं रोग का प्रकोप पाया जाए, वहां उपर्युक्त रोग निरोधक उपाय काम में लाए जाएं।